संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद - कानपुर नगर

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11498
Date 09-07-2002.

कानपुर नगर

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–6
2.	शैक्षिक परिदृश्य	7–22
3.	नियोजन प्रक्रिया	23–31
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	32–35
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	36–40
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	41–44
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	45–62
8.	ठहराव में वृद्धि	63–79
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	80–110
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	111–134
11.	परियोजना लागत	135-148
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	149-158
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय - 1
जिले की पृष्ठभूमि

जनपद कानपुर उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा–यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। जनपद कानपुर नगर 26° उ0 अक्षांश से 27° उ0 अक्षांश तथा 79" पूर्वी देशान्तर से 81" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3015 वर्ग किमी. हैं तथा इसका सम्पूर्ण विस्तार गंगा नदी से दक्षिण एवं पूर्व तथा पश्चिम की ओर है। प्रति वर्ष वर्षा 783 मिमी. (1997) है।इस जनपद की सीमायें पूर्व में इस प्रकार रहीं :–

1. उत्तर दिशा में :– गंगा नदी व जनपद उन्नाव।
2. दक्षिण दिशा में :– यमुना नदी व जनपद हमीरपुर
3. पूरब दिशा में :– जनपद फतेहपुर
4. पश्चिम दिशा मे :– जनपद कन्नौज एवं औरैया

वर्तमान में समग्र कानपुर जनपद – भौगोलिक दृष्टि से– पूर्व में सेंगुर नदी और पश्चिम दिशा में पाण्डु नदी द्वारा विभक्त सीमाओं के आधार पर क्रमशः कानपुर नगर एवं कानपुर देहात शासकीय आदेशानुसार माह अक्टूबर 1985 में सृजित किये गये। प्रारम्भिक चरण में जनपद कानपुर नगर का नगरीय क्षेत्र एवं तहसील कानपुर सदर के ग्रामीण क्षेत्र – कल्यानपुर, विधनू, सरसौल, विकास खण्ड सम्मिलित किये गये थे। तदुपरान्त शासकीय आदेशासानुसार अक्टूबर 1996 में तहसील घाटमपुर एवं बिल्हौर संक्रमित हो जाने के फलस्वरूप जनपद कानपुर नगर की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हो गया। इस प्रकार जनपद कानपुर नगर का भौगोलिक स्वरूप शासकीय निर्देशन में निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

1. नगर निगम क्षेत्र कानपुर नगर – जो पॉच जोन में विभक्त है।
2. तहसील कानपुर सदर – ग्रामीण अंचल के तीन विकास खण्ड – कल्याणपुर, विधनू एवं सरसौल विकास खण्ड स्थित है।
3. तहसील घाटमपुर – ग्रामीण अंचल के तीन विकास खण्ड क्रमशः घाटमपुर, पतारा, भीतरगांव सम्मिलित किये गये है।
4. तहसील बिल्हौर – ग्रामीण अंचल के चार विकास खण्ड क्रमशः बिल्हौर, शिवराजपुर, चौबेपुर एवं ककवन सम्मिलित किये गये है।

PRASHANT

पावन भागीरथी के तट पर स्थित जनपद कानपुर नगर जलवायु– वनस्पति एवं जीव जन्तुओं की श्रेणी में अपना एक विशेष महत्व रखता है। कानपुर नगर के अमर सेनानियों द्वारा भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी अहम भूमिका अदा की गयी है, जिसके कारण 1857 के आन्दोलन में इस जनपद की पावन भूमि मे स्थित "बिठूर नगर" का नाम आज भी नाना राव पेशवा एवं तात्या टोपे एवं महारानी लक्ष्मीबाई जैसे– स्वतन्त्रता आन्दोलनकारियों के प्रेरणा स्थल एवं जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। यहीं नहीं कानपुर नगर का स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी काफी महत्व रहा है। 1857 के गदर के समय भी नानाराव, तात्या टोपे एवं गणेश शंकर विद्यार्थी आदि का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रानी लक्ष्मी बाई भी यहां बड़ी हुई। कानपुर का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व भी है। यहीं पर हिन्दू धर्म की आस्था के प्रतीक गंगा–यमुना भी इसकी सीमाओं को पावन करती हुई बहती है तथा बिठूर में ब्रह्मा जी की खूँटी, भक्तराज ध्रुव की तपोस्थली तथा महर्षि वाल्मीकी का क्षेत्र ब्लाक कल्यानपुर के अन्तर्गत स्थित है। इसी प्रकार भीतरगांव ब्लाक मे अति प्राचीन गुप्त कालीन मन्दिर के अवशेष आज भी स्थित है तथा वाह्य पर्यटकों का केन्द्र बिन्दु बने हुये है। इसी प्रकार घिल्हौर के अन्तर्गत मकनपुर में सूफी सन्त मदार साहब की मजार भी आध्यात्मिक केन्द्र बिन्दु बनी हुयी है। जिसमें बहुत बड़ा मेला उनकी आस्था एवं विश्वास में प्रति वर्ष लगता है।

साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन", ब्रजलाल वर्मा, डॉ0 मुन्शीराम शर्मा (सोम जी) तथा नर्वल (सरसौल) के श्री श्याम लाल (पार्षद) जी, जिन्होंने सुप्रसिद्ध गीत *"झंडा ऊँचा रहे हमारा"* को लिखा था। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का स्मारक तथा बच्चों का केन्द्र बिन्दु चिड़ियाघर यहां स्थित है एवं दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नवजीवन, राष्ट्रीय सहारा, स्वतन्त्र भारत आदि समाचार पत्र भी यहां से प्रकाशित होते है।

कानपुर एक औद्योगिक/वाणिज्यिक जिला है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हैं, तथा कम्पनियां भी कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय खेती है तथा खेती की मुख्य फसलें रबी, खरीफ तथा जायद की है। सिचांई के साधनों में नहर, नलकूप, नदी, कुए एवं तालाब है जिसमें नहरों – 101000 हेक्टेयर, नलकूप–300000 हेक्टेयर, निजी – 331000 हेक्टेयर तथा तालाबों से – 90000 हेक्टेयर भूमि की सिचांई होती है। पशुधन भी इस जनपद की आय का मुख्य श्रोत है।

यातायात के साधनों में सड़क परिवहन, वायु एवं रेल परिवहन की सुविधायें उपलब्ध है। बैंकिंग सुविधा भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूरसंचार की सेवाओं का संजाल भी बना हुआ है।

सारणी – 1.1

सील	–	03
विकास खण्ड	–	10 आंशिक भाग (ककवन)
न्याय पंचायतें	–	91
ग्राम सभायें	–	556
राजस्व ग्राम	–	1019
बस्तियों की संख्या	–	781
नगरीय क्षेत्र	–	05
नगर निगम	–	02
टाउन एरिया	–	02
वार्ड	–	180

जनसंख्याः– जनपद कानपुर नगर में कुल आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 3253572 थी। जिसमें पुरूष 1765604 तथा महिलायें 1487968 हैं। जिसमें 622079 पुरूष तथा 546921 महिला कुल 1169000 ग्रामीणांचल में है। नगरीय जनसंख्या 1143525 पुरूष तथा 940997 महिला कुल 2084574 है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 159223 पुरूष 139045 महिला कुल 298268 अनुसूचित जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में तथा 125191 पुरूष 119829 महिला कुल 240020 नगरीय क्षेत्र में हैं। जनजाति कुल 788 ग्रामीण 883 नगरीय क्षेत्र में है। जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूष – 2191214 तथा महिला 1946275 कुल – 4137489 हो गयी है। 0–6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या 580016 है।

उपरोक्त को अद्योलिखित वर्णित किया गया है।

सारिणी संख्या 1.2

आधार वर्ष 1991 की जनसंख्या – कुल एवं अनु. जाति

क्रम	ब्लाक ग्रामीण अनु.	1991 की कुल जनसंख्या			कुल अनु. जाति		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	कल्यानपुर	58247	53767	112014	14008	12971	26979
2.	विधनू	71382	59301	130683	19259	15999	35258
3.	सरसौल	74899	63558	138457	19279	16360	35639
4.	चौबेपुर	53172	44986	98158	8944	7548	16492
5.	शिवराजपुर	48856	45097	93953	13973	12897	26870
6.	बिल्हौर	65350	60322	125672	17004	15696	32700
7.	ककवन	36185	22124	48309	7254	5903	13157
8.	भीतरगांव	75385	65386	140771	18537	15780	34317
9.	पतारा	64785	55009	119794	19136	17665	36801
10.	घाटमपुर	83818	77371	161189	20829	19226	40055
	योग	622079	546921	1169000	159223	139045	298268
1.	शिवराजपुर	4074	3474	7548	914	765	1679
2.	बिठूर	4450	2994	7444	960	315	1275
3	बिल्हौर	7904	7037	14941	549	426	975
4.	घाटमपुर	12872	11878	24750	3199	2952	6151
	नगर निगम	1114225	915664	2029889	119569	110371	229940
	योग	1765604	1487968	3253572	284414	253874	538288

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि घाटमपुर विकास खण्ड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या 48867 है तथा सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या [illegible] में 20120 है।

PRASHANT

सारणी संख्या 1.3

नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991								
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			अनु0 जनजाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	कल्यानपुर	4450	2944	7444	960	315	1275	–	–	–
2.	शिवराजपुर	4074	3474	7548	914	765	1679	138	118	256
3.	बिल्हौर	7904	7037	14941	549	426	975	181	155	336
4.	घाटमपुर	12872	11878	24758	3199	2952	6151	–	–	–
5.	नगर निगम	1114225	915664	2029889	119569	110371	229940	262	223	485
	योग	1143525	940997	2084580	125191	114829	240020	581	496	1077

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित जनसंख्या 2001								
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			अनु0 जनजाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	कल्यानपुर	5429	3652	9081	1171	384	1555	–	–	–
2.	शिवराजपुर	4970	4238	9208	1158	933	2048	138	118	256
3.	बिल्हौर	9643	8585	18128	670	520	1190	181	155	336
4.	घाटमपुर	15704	14496	30200	3902	3602	7504	–	–	–
5.	नगर निगम	1287762	1188703	2476465	145874	134653	280527	262	223	485
	योग	1323508	1219674	2543082	152775	140092	292824	709	605	1314

वर्ष 1991 में नगरीय जनसंख्या कुल 64.07 प्रतिशत है जिलें में प्रति हजार पुरूषों के सापेक्ष 843 महिलायें है। नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक हैं इसका मुख्य कारण कानपुर जैसा विशाल औद्योगिक शहर रहा है। राज्य में विभिन्न प्रान्तों एवं जनपदों से लोग व्यापार करने एवं कारखानों में कार्य करने के उद्देश्य से यहां आते रहते है जिसके कारण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जाति की कुल नगरीय संख्या 7.38 प्रतिशत है जो यह साबित करती है कि इस वर्ग की नगरीय क्षेत्र में भागीदारी अत्यन्त न्यून है। इसका मुख्य कारण निरक्षरता, गरीबी एवं उनके पिछड़ेपन का घोतक है।

सारिणी संख्या 1.4

1991 के आधार पर 2001 की जनसंख्या

क्रम	नाम ब्लाक	कुल			अनु. जाति			अन. जा. प्रतिशत
1.	कल्यानपुर	71061	65596	136657	17090	15825	32915	24.09
2.	विघनू	87086	72347	159433	23592	19599	43191	27.09
3.	सरसौल	91376	77541	168917	23521	19959	43480	26.06
4.	चौबेपुर	64870	54883	119753	10912	9209	20120	16.80
5.	शिवराज	59604	55019	114623	17047	15734	32781	28.60
6.	बिल्हौर	79726	73594	153320	20745	19149	39894	26.02
7.	ककवन	33165	25771	58936	8849	7202	16051	27.23
8.	भीतरगाँव	91971	79771	171742	22615	19251	41866	24.38
9.	पतारा	75997	70152	146149	23347	21550	44897	30.72
10.	घाटमपुर	102258	94394	196650	25411	23456	48867	24.85
	योगः–	757114	669066	142618	193129	170934	364063	25.52

नगर क्षेत्र – शिवराजपुर	4970	4238	9208	1115	933	2048	22.24
नगर क्षेत्र – बिठूर	5429	3652	9081	809	746	1555	17.12
नगर क्षेत्र – बिल्हौर	9643	8585	18228	670	520	1190	10.53
नगर क्षेत्र – घाटमपुर	15704	14496	30200	3902	3602	7504	24.85
नगर क्षेत्र – योग	**35746**	**30971**	**66917**	**6496**	**5801**	**12297**	**18.38**
नगर निगम कानपुर	1287762	1188703	2476465	145874	134653	280527	11.32
महायोगः–	2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	16.60

नोटः– वर्ष 2001 की जनगणना की विकास खण्डवार व जातिवार सारणी अभी उपलब्ध नही है। इसलिए अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

प्रदेश 1991 की कुल साक्षरता दर 41.6 है। जिसमें 56.7 पुरूष तथा 41.6 महिलाओं की साक्षरता दर है। जिले की साक्षरता 1991 के आधार पर कुल 68.76 साक्षरता दर है। जिसमें 76. 73 पुरूष तथा 58.82 महिलाओं की साक्षरता है। जिसमें ग्रामीण साक्षरता 39.6 तथा नगरीय साक्षरता 45.6 ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष की साक्षरता, 49.50 स्त्रियों की 29.10 नगरीय क्षेत्र में 45.6 जिसमें पुरूष 55.64 तथा महिलायें 35.71 ही साक्षर है। कानपुर शहर की साक्षरता कुल 61.84 प्रतिशत है जिसमें 68.76 पुरूष तथा 53.40 प्रतिशत महिला साक्षरता दर है। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर 39.6 है जो प्रदेश की साक्षरता दर 41.6 से कम है। अतः निरक्षरता के प्रतिशत को कम करने के लिए असेवित क्षेत्रों में महिला साक्षरता हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

सारणी – 2.1

साक्षरता दर

जनगणना 1991 के आधार पर

जनपद की साक्षरता	–	दर
कुल साक्षरता	–	53.72
ग्रामीण साक्षरता	–	39.06
नगरीय साक्षरता	–	45.06
कुल पुरूष साक्षरता	–	61.92
कुल महिला साक्षरता	–	43.80

जिले की अनुसूचित जाति की साक्षरता

पुरूष	53.72
महिला	43.80
ग्रामीण पुरूष	49.50
ग्रामीण महिला	29.10
नगरीय पुरूष	55.64
नगरीय महिला	35.71

नोटः– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 77.63 हो गयी है। पुरूष साक्षरता दर 82.08 तथा महिला साक्षरता दर 72.50 है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारणी – 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता दर

जनपद की साक्षरता												
क्र.स.	नाम ब्लाक	कुल साक्ष.	ग्रामीण साक्ष.	नगरीय साक्ष.	कुल साक्ष. साक्ष	कुल साक्ष.	अनु. जाति साक्ष.		कुल ग्रामीण साक्ष.		कुल नगरीय साक्ष.	
							पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0
1.	कल्यानपुर	39.72	37.24	40.2	49.87	27.50	49.87	27.50	48.0	26.48	58	24.4
2.	विघनू	39.20	39.20	-	48.87	27.53	48.87	27.53	48.87	27.53	-	-
3.	सरसौल	40.71	40.71	-	51.63	27.84	51.63	27.84	51.63	27.84	51.63	27.84
4.	घाटमपुर	39.59	35.98	41.2	49.22	26.15	49.22	26.15	49.2	22.54	49.22	33.18
5.	भीतरगाँव	41.76	41.76	-	52.37	29.57	52.37	29.57	52.37	29.57	-	-
6.	पतारा	28.85	38.85	-	49.25	26.60	49.25	26.60	49.25	26.60	-	-
7.	चौबेपुर	42.80	42.80	-	52.89	30.88	52.89	30.88	52.89	30.88	-	-
8.	शिवराज	42.76	41.70	43.82	52.26	31.55	52.26	31.55	52.26	31.14	52.26	35.38
9.	बिल्हौर	40.24	39.47	41.01	48.84	30.22	48.84	30.22	50.00	28.94	50.00	12.02
10.	ककवन	38.30	38.30	-	49.50	25.10	49.5	25.10	49.50	26.10	-	-
11.	नगर निगम	61.84	-	61.84	68.76	53.30	68.06	53.40	-	-	68.76	53.40
	योगः–	**73.20**	**39.06**	**45.096**	**61.92**	**43.80**	**53.72**	**43.80**	**49.50**	**29.10**	**55.64**	**35.71**

नोटः– जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्डवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नही है।

शैक्षिक संस्थाएं

यह जिला औद्योगिक एवं वाणिज्यिक का केन्द्र होने के कारण यहाँ पर भारी तादाद में बाल श्रमिक विभिन्न कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत होने के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से कट जाते हैं। इसी प्रकार भट्ठों में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश के पूर्वी जिलों से आये अल्पकालिक श्रमिकों के बच्चे भी साक्षरता नही प्राप्त कर पाते हैं एवं सड़कों, स्टेशनो, एवं चौराहों पर घूम–घूम कर धनोपार्जन के लिए कार्य करते हैं ऐसे घुमतू बच्चे भी शिक्षा की मुख्य धारा अलग रह जाते हैं तथा शहर की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे भी साक्षरता की दर को नीचा कर देते हैं, मुस्लिम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की दशा बड़ी दयनीय है। समाज के ऐसे वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारिणी-2.3 में दिया गया है।

शैक्षिक संस्थाएं

सारिणी–2:

क्रम	विद्यालय के प्रकार	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रा.	नग.	योग	ग्रा.	नग.	योग	ग्रा.	नग.	योग	ग्रा.	नग.	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1001	443	1444	146	992	1138	1147	1435	2582	62	361	423
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	01	01	07	02	09	07	03	10	–	–	
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	253	39	292	109	400	509	362	438	800	44	286	330
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	01	01	02	60	06	66	61	07	68	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	09	09	–	–	–	–	09	09	–	–	
6	नवोदय विद्यालय	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	01
7.	हाई स्कूल	02	01	04	97	24	121	100	25	125	15	86	101
8.	इण्टरमीडिएट	02	01	03	125	54	179	127	55	182	12	65	77
9	डिग्री कॉलेज	01	–	01	10	05	15	11	05	16	–	–	–
10	स्नोतकोत्तर महावि.	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	–	–
11	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	02	02	–	02	02	–	–	--
12	तकनीकी संस्थान (आई.टी. आई / पॉलिटेक्निक	00	15	15	02	10	12	02	25	27	–	–	--
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	10	10	–	10	10	5	4	9
14	आगनबाड़ी केन्द्रों की सेंख्या	798	200	998	–	–	–	798	200	998	–	–	--
15.	मकतब / मदरसे	–	–	–	12	14	26	12	14	26	–	10	10
16.	संस्कृत पाठशालाएं	–	–	–	03	06	09	03	06	09	–	05	05
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	–	–	–	01	02	03	01	02	03	–	–	–
18.	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	50	–	–	50	–	–	–
19	खण्ड संसाधन केन्द्र	–	–	–	–	–	–	--	–	--	–	--	--
20.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–	--	–	-	--
21.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–

शिक्षकों की उपलब्धता

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के लिये प्रत्येक विद्यालय पर एक प्र0अ0 एव मानक के अनुसार 1:40 के अनुपात में अध्यापक की व्यवस्था की गई है। किन्तु किसी भी विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो में ग्रामीण क्षेत्र में 3027 पद सृजित है। जिसके सापेक्ष कुल 2900 शिक्षक कार्यरत हैं। एक जुलाई 2000 को मानक निर्धारित करते हुये 127 प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के पद रिक्त है।

नगर निगम में विगत कई वर्षो से नवीन नियुक्ति तथा पद स्थापना पर रोक लगी होने की कारण सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं मृत शिक्षकों के पद 1782 पद रिक्त है। जनपद की स्थिति स्पष्ट करने हेतु सारिणी नं0 4 संलग्न है।

परिषदीय उच्च प्राथनिक विद्यालयों 11–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुल 1724 स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष ग्रामीण अंचल मे 826 शिक्षक कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2000 को आधार मानते हुये 492 पद रिक्त है। नगर निगम में कुल स्वीकृत पद 210 है। जिसके सापेक्ष 117 शिक्षक कार्यरत है एवं 93 पद रिक्त है। जनपद की स्थिति स्पष्ट करने हेतु विवरण तालिका सारिणी नं0 5.1 सलंग्न है।

सारणी सं0-2.4
शिक्षकों की उपलब्धता

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र	सृजित 3027	कार्यरत जुलाई 01 तक 2900 वर्तमान में	रिक्त 127	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या 16
नगर निगम	2532	0750	1782	नियुक्ति पर रोक लगी है।
परिषदीय उच्च प्रा0 वि0 ग्रामीण क्षेत्र	1514	0791	0723	–
नगर निगम	0210	0117	0083	–

RASHANT

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता :– जनपद में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 837 है। इसमें से 814 ग्रामों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय विद्यालय उपलब्ध है। 1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 दूरी से पर 11 ग्राम ऐसे हैं। जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है साथ ही 12 ऐसे ग्राम है। जहां पर 1.5 किमी से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है।

सारणी सं0–2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	814	11	12
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	383	58	31

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाली 472 बस्तियां है। इनमें से 383 बस्तियों मे 1 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय है। 58 बस्तियों में 1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है तथा 31 ऐसी बस्तियां है जहां पर 15 किमी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता :–

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की जनसंख्या 669 है। जिनमें से 639 ऐसे ग्राम है। जहां पर 3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है। इसी प्रकार जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले 169 बस्तियों जिनमें से 162 में 3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है। किन्तु जनपद की 800 से अधिक आबादी वाली बस्तियों की संख्या 7 है, जिनमें 3 किमी0 से अधिक दूरी पर सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अनुपात एक करने मे जनपद में 223 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

सारणी सं0-2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0 वि0 उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक वि0 अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0वि0 की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	639	36	–
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	162	07	233

1:2 के आधार पर असेवित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणना :–

1. कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय – 1444
2. कुल प्रस्तावित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय – 106
3. योग (क्रम सं0 1 व 2) – 1550
4. कुल परिषदीय प्रा0 वि0 एवं कुल प्रस्तावित प्रा0वि/2 – 775
5. कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक वि0 – 292
6. वांछित उच्च प्राथमिक विद्यालय (क्रम सं0 4–5) – 483

अतः 483 उ0 प्र0 वि0 स्थापित करने के पश्चात् सारणी 2.6 मे दी गई असेवित बस्तिया स्वतः ही सेवित हो जायेगी।

सलंग्नक : 2.1

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध		1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध		1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	
		ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसी बस्ती की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसी बस्ती की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसी बस्ती की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।
1.	कल्यानपुर	69	43	–	03	–	19
2.	विधनू	74	–	04	–	–	20
3.	सरसौल	59	02	04	–	–	12
4.	चौबेपुर	100	64	02	04	–	21
5.	शिवराजपुर	45	–	02	–	–	24
6.	बिल्हौर	51	–	01	–	–	33
7.	ककवन	13	–	06	–	–	07
8.	भीतरगांव	73	21	02	–	–	31
9.	पतारा	41	12	11	03	–	19
10.	घाटमपुर	114	20	04	–	–	37
	योग	639	162	36	07	–	223
	नगर निगम	–	–	–	–	–	–

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें, जनपद–कानपुर नगर

क्रम सं.	नाम ब्लाक / क्षेत्र	कुल विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय भवन								मरम्मत योग		शौचालय			हैण्डपम्प			चहरदीवारी		
			1 क.	2 क	3 क	4 क	5 क	5 से अधिक	किरमें के भवन	योग	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	शौचालय	शौचालय विहीन	शौचालय की आवयकता	हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्प विहीन	हैण्डपम्प की आवश्यकता	40 हजार चहार दीवारी मु	चहार दीवारी विहीन	चहार दीवारी की आवश्य कता
1.	कल्याणपुर	101	–	99	–	02	–	7	–		17	03	1000	01	01	49	52	52	37	64	64
2.	विधनू	106	–	105	05	04	02	–	–		05	03	113	03	03	55	61	61	53	63	63
3	सरसौल	121	–	108	08	04	01	–	–		10	087	119	02	02	61	60	60	36	85	85
4.	चौबेपुर	96	–	94	–	02	–	–	–		17	03	95	01	01	27	69	69	11	85	85
5.	शिवराजपुर	92	–	90	–	02	–	–	–		04	02	92	–	–	33	59	59	11	81	81
6.	बिल्हौर	108	–	95	05	07	01	–	–		08	07	105	03	03	39	69	69	08	100	100
7.	ककवन	35	–	33	01	01	–	–	–		03	02	35	–	–	10	25	25	–	35	35
8.	भीतरगांव	124	–	113	04	07	–	–	–		02	05	124	–	–	80	44	44	07	117	117
9	पतारा	97	–	85	07	03	01	01	–		25	06	96	01	01	07	90	90	04	93	94
10.	घाटमपुर	122	–	110	06	02	03	01	–		12	08	122	–		23	99	99	17	105	105
	योग ग्रामीण	1012	–	932	36	34	08	02	–		113	48+1	1001	11	11	384	628	628	184	828	829
	नगर निगम कानपुर	432	–	81	23	–	15	–	198+115=313		20	60	50	68	68	18	100	100	01	117	117
	कुल योग	1444	–	1013	59	34	23	02	313		133	108+1	1051	79	79	402	728	728	185	945	945+1

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें, जनपद–कानपुर नगर

क्रम सं.	नाम ब्लाक / क्षेत्र	कुल विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय भवन								मरम्मत योग		शौचालय			हैण्डपम्प			चहरदीवारी		
			1 क.	2 क	3 क	4 क	5 क	5 से अधिक	किराये के भवन	योग	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	शौचालय	शौचालय विहीन	शौचालय की आवयकता	हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्प विहीन	हैण्डपम्प की आवश्यकता	40 हजार चहार दीवारी मु.	चहार दीवारी विहीन	चहार दीवारी की आवश्य कता
1.	कल्याणपुर	32	–	–	–	32	–	–	–	–	04	03	32	–	–	21	11	11	29	02	02
2.	विधनू	37	–	–	–	37	–	–	–	–	02	–	32	05	05	21	16	16	03	34	34
3	सरसौल	46	–	01	–	42	–	03	–	01	03	02	43	03	03	27	19	19	12	34	34
4.	चौबेपुर	23	–	–	–	23	–	–	–	–	03	–	23	–	–	15	08	08	03	23	23
5.	शिवराजपुर	22	–	–	–	21	01	–	–	–	–	02	22	–	–	06	16	16	–	22	22
6.	बिल्हौर	21	–	01	–	17	02	01	–	–	03	01	20	01	01	05	16	16	03	18	18
7.	ककवन	07				07					02		07	–		02	05	05	–	07	07
8.	भीतरगांव	29	–	–	–	27	–	02	–	–	02	–	29	–	–	21	08	08	05	24	24
9	पतारा	20	–	–	–	19	–	01	–	01	03	01	19	01	01	06	14	14	–	20	20
10.	घाटमपुर	23	–	–	–	20	03	–	–		02	01	22	01	01	098	14	14	03	20	20
	योग ग्रामीण	260	–	02	–	245	06	07	–	02	27	10	249	11	11	133	127	127	58	194	194
	नगर निगम कानपुर	32	–	03	–	02	01	–	26	–	01	01	1+1	01	01	01	01	01	30	01	01
	कुल योग	292	–	05	–	247	07	07	26	28	11	251	12	12	135	128	128	128	88	202	202

विद्यालय में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर

क्रम. सं.	विद्यालय		योग	नगरीय	ग्रामीण
1.	प्राथमिक विद्यालय				
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या		–	–	–
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या		1013	81	932
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या		59	23	36
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या		34	–	34
	पाँच कक्षीय विद्यालयों की संख्या		23	15	8
	एक कक्षा से अधिक वाले विद्यालय		02	–	02
	किराये पर भवन		115	115	–
	भवनहीन		198	198	–
2.	मरम्मत योग्य विद्यालय–240		लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	
			योग्य–133	योग्य–107	
3.	शौचालय	शौचालय युक्त	402 शौचालय	योगः शौचालय की आवश्यकता–728	
			विहीन–728		
4.	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	1051 हैण्डपम्प	योगः हैण्डपम्प की आवश्यकता–79	
			विहीन–79		
5.	चहारदीवारी	चहारदीवारी युक्त	185 चहारदीवारी	योगः चहारदीवारी की आवश्यकता–945	
			विहीन–945		

उच्च प्राथमिक स्तर

क्रम. सं.	विद्यालय		योग	नगरीय	ग्रामीण
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय		कुल वि. की सं. 292	भवन युक्त 292, जर्जर भवन 2	
2.	मरम्मत योग्य		लघु मरम्त 2.4		
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या		–		
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या		05		
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या				
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या		247		
	पाँच कक्षीय विद्यालयों की संख्या		07		
	एक कक्षा से अधिक वाले विद्यालय		07		
3.	शौचालय	शौचालय युक्त	135 शौचालय	योगः शौचालय की आवश्यकता–128	
			विहीन–728		
4.	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	251 हैण्डपम्प	योगः हैण्डपम्प की आवश्यकता–12	
			विहीन–12		
5.	चहारदीवारी	चहारदीवारी युक्त	59 चहारदीवारी	योगः चहारदीवारी की आवश्यकता–195	
			विहीन–195		

सारणी 2.10

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं में कमी / आवश्यकता

क्र.सं.	आइटम / सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी.ई.पी.–11वें वित्त आयोग प्राविधान / जिला वित्त योजना	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी.–11वें वित्त आयोग का प्राविधान	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	106	–	106	158	–	158
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	64	–	64	02	–	02
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रशिक्षक / प्रति कक्षा–कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	1168	80 *	1088	633	–	633
4.	पेयजल	79	–	79	12	–	12
5.	शौचालय	728	–	728	128	–	128
6.	चाहारदीवारी	946	–	450	202	–	–

* 11वें वित्त आयोग में स्वीकृत इनकी लागत परियोजना लागत में समाविष्ट कर ली गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में 02 विद्यालय भवन, 02 शौचालय, 02 हैण्डपम्प तथा 02 चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

नोटः विद्यालय / भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए भविष्य (आगामी वर्षों) के लिए केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1997 से 2000 तक छात्र नामांकन वर्षवार

6–11 (प्राथमिक स्तर)

कानपुर नगर

वर्ष	बालक	बालिका	योग	वृद्धि %
1997–98	194000	154000	348000	–
1998–99	196000	170000	366000	5.17
1999–2000	198000	193000	391000	6.83
2000–2001	253006	215524	468529	19.8

परिषदीय, शासकीय, मान्यता प्राप्त, निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागृति आई है और अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित हुये हैं। विगत 3 वर्षों में औसतन 11% की वृद्धि नामांकन में हुई है, जो उत्साहवर्द्धक है।

1997 से 2000 तक छात्र नामांकन वर्षवार

11–14 (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष	बालक	बालिका	योग	वृद्धि %
1997–98	74700	66300	141000	–
1998–99	84000	68300	152300	8
1999–2000	99000	80000	179000	17.5
2000–2001	106663	90861	197523	10.3

उच्च प्राथमिक स्तर पर परिषदीय, शासकीय, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालयों के 6–8 अनुभाग के सभी विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये छात्र नामांकन में विगत 3 वर्षों में औसतन 10% की वृद्धि हुई है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–कानपुर नगर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	52000	44200	33800	130000	-
1999-2000	55600	47260	36140	139000	7
2000-2001	65600	54120	44280	164000	18

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	76700	52000	-
1999-2000	91800	55600	72.5
2000-2001	97300	65600	71.5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	248	292	15%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	100	253	19	272	3.7 : 1
नगर क्षेत्र	443	39	76	115	3.9 : 1
योग	1444	292	95	387	3.7 : 1

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हो रही है, जो औसतन 13% है तथा उत्साहवर्धक है।

कक्षा 5 से कक्षा 6 में छात्राओं की ट्रांजीशन दर लगभग 72% है। कक्षा 5 में उत्तीर्ण लगभग 28% बच्चें कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उचित दूरी के अन्दर उपलब्ध न होना है।

जनपद कानपुर नगर किसी भी परियोजना से आच्छादित न होने के कारण अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो सके। 7 वर्षों की अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में मात्र 15% की वृद्धि हुई है, जो प्रति वर्ष 2% है तथा प्रायमिक स्तर पर हुये विस्तार के सापेक्ष अत्यधिक न्यून है। माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6-8 अनुभाग को भी सम्मिलित करने पर उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 1:3.7 है। अतः यह स्थिति ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र दोनों के लिए एक जैसी है। अतः जनपद कानपुर नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिक आवश्यकता है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 उत्तीर्ण बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकें।

अध्याय – 3
नियोजन प्रक्रिया

सर्वशिक्षा अभियान :–

सर्वशिक्षा अभियान सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जो केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित होगा। सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2001 से 2010 तक की दीर्घकालीन योजना है। जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की साझेदारी है। एक सुनिश्चित समयबद्ध तरीके से शिक्षा के प्रति सनाज को जागरूक करने एवं विद्यालय के प्रति स्व की भावना का विकास करने तथा योजना का विकेन्द्रीकरण इस अभियान का लक्ष्य है। सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम हे। जिसमें शिक्षा की प्रगति के लिये अब तक किये गये प्रयासों को एक जुट करते हुये बस्ती स्तर की शिक्षा योजनाओं को विकास खण्ड स्तर पर एकीकृत करके तथा विकास खण्ड स्तर की सभी योजनाओं को एकीकृत करके जिला स्तर की योजना तैयार की जायेगी। जिले में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना तैयार करने हेतु जिले में एक नियोजन टीम का गठन किया गया। जिसने सीमेट इलाहाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का फालो–अप लखनऊ में एस.पी.ओ. द्वारा किया गया।

स्कूल चलो अभियानः–

1 जुलाई 2000 से 15.8.2000 के मध्य जिले में स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य व्यापी आन्दोलन के तहत इस जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया। प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 16 जुलाई से 15 अगस्त 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरणः–

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक प्रमुख/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नव–निर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत रैलियाँ, बैठकें, आयोजित की गईं।

उक्त अभियान को गति प्रदान करने हेतु 4 जुलाई 2000 को शासन द्वारा नामित प्रभारी मंत्री श्री लालजी टण्डन ने जन जागरण के लिए निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना

किया। एक विशाल सभा को सम्बोधित किया और उन्होंने सभी का आह्वान किया कि इस अभियान को सफल बनाया जाये और सभी बालक/बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित किया जाये।

इस अवसर पर विकास खंड तथा ग्राम स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियाँ निकाल कर जन–जागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर हैं स्कूल भेज सके। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समितियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, बहुउद्देशीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया।

इस प्रपत्र का ठीक से भरने हेतु उन्हें निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क स्थापित करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि उनके परिवार के बच्चे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे हैं अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए विकास खंड स्तर की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित होने सछूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 91 न्याय पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 180 वार्डों के लगभग 2•48 लाख (नगरीय) तथा 1•50 लाख (ग्रामीण) परिवारों में बाल गणना की गयी। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 793872 बच्चे चिन्हित किये गये, जिसमें 6–11 वय वर्ग के 496170 बच्चे थे।

द्वितीय चरणः–

6–11 वय वर्ग के बच्चों में से ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया जो विद्यालयों में नहीं जा रहे थे। ऐसे कुल बच्चे लगभग 26664 थे। उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेरित किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ–साथ समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालय में न पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय में दाखिल कराने हेतु प्रत्येक विकास खंड में गोष्ठियां की गयी। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर–घर जाकर जन–सम्पर्क किया। उपरोक्त बच्चों का उसी समय विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले चिन्हाकिंत 15998 बच्चों में से 15139 बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। स्कूल के बाहर केवल उन्हीं बच्चों का नामांकन नहीं हो सका जो पहले कभी स्कूल नहीं गये थे। और जो अपने परिवार के साथ किसी व्यवसाय में संलग्न हैं।

स्कूल चलो अभियान

जिला कानपुर नगर

बालगणना में कुल चिन्हांकित बच्चों की संख्या			अभियान के अन्तर्गत न पढ़ने वाले बच्चे		अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे	
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14
बालक	258008	155003	13184	7921	244824	147082
बालिका	238162	142699	13480	8077	224682	134622
योग	496170	297702	26664	15998	469506	281704

इसके पूर्व मई में बालगणना कराई गयी बाल गणना के आकंड़ो का विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर संकलन किया गया। ताकि उन क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जा सके, जहां पर आउट आफ स्कूल बच्चे अधिक है तथा बालिकाओं का ठहराव कम है।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल, ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता है और तदनुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है। जिसके लिये सानुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्यालय छोड़े।

माइक्रो प्लानिंग (सूक्ष्म नियोजन)

कानपुर नगर जनपद में स्कूल चलो अभियान के दौरान ग्राम शिक्षा समितियों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सक्रिय योगदान दिया। अभी इस जिले में विधिवत् माइक्रोप्लानिंग नहीं हुई है तथापि ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ऐसी असंवित बस्तियों को चिन्हांकित किया जा चुका है जहाँ शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान में बस्ती और परिवार को इकाई मानते हुए माइक्रोप्लानिंग का कार्य किया जायेगा। ताकि निम्नलिखित सूचनायें ग्रामवासियों के सहयोग से एकत्र कर ग्राम/विधालय स्तर पर रखी जा सकें :–

1 ग्राम में 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चे।

2 विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे।

3 विद्यालय न आने वाले बच्चे।

4 क्या गाँव में स्थित प्रा0वि0 के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं।

5 यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए क्या उपाय् किये जायें।

6 क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार हैं।

9 क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं।

समुदाय द्वारा अद्यावधिक माइक्रोप्लानिंग का चक्र सर्वशिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष के क्रियान्वयन 2001–2002 में पूर्ण किया जायेगा।

जनपद कानपुर नगर में नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य सर्वशिक्षा अभियान के पूर्व परियोजनान्तर्गत गतिविधियों के अनुसार चल रहा था परन्तु नगर में अचानक भड़के दंगे के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। नगरीय योजनाओं से सम्बन्धित ऑकड़ों का विवरण तथा सर्वेक्षण के तथ्यों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2002–2003 में दर्शाया जायेगा।

इसके पश्चात उपरोक्त स्थानों पर समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं/समस्याओं की जानकारी करने हेतु फोकस ग्रुप डिस्कशन किये गये। इनके अलावा जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। इन फोकस ग्रुप डिस्कशन तथा बैठकों का सारांश निम्न सारणी में दिया गया है :–

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्रम स.	स्थान एवं तिथि	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श के प्रमुख बिन्दु
1.	जिला पुस्तकालय, कानपुर, 8.2.2001	अधिकारी–24 अध्यापक–5	1. भौतिक संसाधनों में वृद्धि की जाये। 2. अध्यापकों से अन्य विभागीय कार्य न लियों जायें । 3. शिक्षा अनिवार्य की जाये । 4. अध्यापकों को उनके धर से दूर नियुक्त किया जाये । 5. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। 6. पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। 7. अभिभावकों/माता संगठनों की बैठकों का आयोजन किया जाए। 8. मूल्यांकन पद्धति में परिर्वतन किया जाए। 9. गरीब छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सामग्री उपलब्ध करायी जाए। 10. निरीक्षण अधिकारियों को भी समय–2 पर प्रशिक्षण दिया जाए।
2.	जिला अधिकारी शिविर कार्यालय 15.2.2001	अधिकारी–20	1. शिक्षा सभी की आसान पहुँच के अन्दर हो। 2. शहर की मलिन बस्तियों में विद्यालयों की व्यवस्था की जाए एवं जो परिषदीय विद्यालय बन्द है उन्हें आवश्यकता वाले स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाए। 3. ऐसे स्थानों पर जिनके बीच में नदी–नाले रेलवे लाइन, प्राकृतिक अवरोध हो। उन स्थानों पर मानक से हटकर कम दूरी पर भी विद्यालयों की स्थापना की जायें। 4. बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय खोले जाए। (विशेषकर जू. हा. स्कूल) 5. जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाए। 6. भौतिक संसाधनों में वृद्धि की जाए।

			7. स्कूल न जाने वाले एवं पढ़ाई के प्रति लापरवाही करने वाले अध्यापकों के प्रति सख्त कार्यवाही की जाये। 8. निःशुल्क पाठ्य सामग्री गरीब छात्रों को उपलब्ध करायी जायें। 9. 1:40 के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। 10. लापरवाह एवं एक ही स्थान पर वर्षों से तैनात अध्यापकों का स्थानान्तरण दूर किया जाए।
3.	ग्राम–रामपुर, सरसौल विकास खण्ड 9.2.2001	प्र0अ0 ग्राम प्रधान अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि महिलायें (कुल–20)	1. अल्पआयु में बालिकाओं की शादी करा दी जाती है। 2. घरेलू कार्यवश बालिकाए विद्यालय नही आती। 3. बालिकाओं को अपने छोटे–छोटे भाई–बहनों को घर पर रखना पड़ता है। 4. बालिकाएं विद्यालय में असुरक्षा की भावना के कारण स्कूल नही जा पाती। 5. उच्च प्राथमिक विद्यालय का अधिक दूर होना जिसके कारण कक्षा 5 के बाद बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाती है।
4.	चौबेपुर विकास खण्ड मुख्यालय 10.02.2001	अध्यापक–7, अधिकारी–2 गणमान्य व्यक्ति–7 ग्राम प्रधान–2 अभिभावक–7 (कुल–25)	1. बच्चों में ड्राप आउट खास तौर पर बालिकाओं में यह संख्या बहुत अधिक, यद्यपि यहां नामांकन अच्छा है। 2. सुयोग्य अध्यापकों का दल बनाया जाए जो समय समय पर अन्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य करें जिसमें महिला सदस्य भी हो। 3. बच्चों की सुरक्षा का प्रबन्ध हो खासकर बालिकाए विद्यालय में सुरक्षित महसूस नही करती उन्हें सुरक्षा दी जाये। 4. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। कार्यशालाए की जाये,उन्हें जागृत किया जाए ताकि ड्राप आउट कम हो सके।
5.	ग्राम–पतेहुरी विकास खण्ड–विधनू 13.02.2001	अधिकारी–1 गणमान्य व्यक्ति–7 ग्राम प्रधान–1 अनु. जाति – पुरूष–10 अनु. जाति – महिला–5	1. हरिजन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण बच्चे अपने माँ–बाप के साथ काम करते है। नामांकन तो करा लेते है। किन्तु नियमित रूप से विद्यालय नही जाते। सभी ने सहमति जतायी कि अभिभावकों में जागरूकता लायी जायें।

6.	गडोलामऊ वि0 खण्ड–घाटमपुर 14.02.2001	एस.डी.आई. ग्राम प्रधान पिछडी जाति के प्रतिनिधि, ग्राम शिक्षा समिति की महिला सदस्य अभिभावक (22)	1. यह पिछडा क्षेत्र होने के कारण शिक्षा विशेष तौर पर बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता है। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नही है और महिलाओं ने शिक्षा में भागीदारी की इच्छा जाहिर की किन्तु पुरूष उन्हें आगे नही आने देते। यहां बच्चों की ड्राप आउट दर अत्यधिक है। सुझाव आया की महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किया जाए।
7.	निराला नगर वार्ड नगर निगम–कानपुर 15.02.2001		1. विद्यालय की स्थिति सोचनीय है। भवन जर्जर अवस्था में है, अध्यापक नियमित रूप से नहीं आते है। विद्यालय ठीक से चलाया जाए अन्यथा बन्द कर दिया जाए।
8.	ककवन–विकास खण्ड मुख्यालय 18.02.2001	सदस्य क्षेत्र पंचायत बी.डी.ओ. स.बे.शि.अधिकारी ग्राम प्रधान महिला प्रधान (कुल 25)	1. सुदूर इलाका होने के कारण अध्यापक अपनी पोस्टिंग नही चाहते विद्यालय दूर – दूर है। बालिकाओं का नामांकन तथा धारण दोनों कम है। लोगों ने सुझाव दिया कि और स्कूल खोले जाये।
9.	तम्बौर वार्ड नगर निगम	अधिकारी–5 जनप्रतिनिधि–3 इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य–2 सदस्य न0नि0 शि0 सं0–11	1. परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों को निष्ठा पूर्वक कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाए। 2. अधिकारियों द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाता रहे। 3. विद्यालय आकर्षण विहीन है। उन्हें आकर्षक बनाया जाए। 4. अध्यापक शिक्षण कार्य की अपेक्षा अपने व्यापार में लगे रहते है। इसे समाप्त कराया जाए तथा उन्हें प्रेरित किया जाए कि वे विद्यालय न आने वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करें।
10.	चमनगंज, नगर निगम कानपुर	अधिकारी–1 अभिभावक–9 मुस्लिम सम्प्रदाय के अग्रज, सभासद–5 (कुल 30)	1. विद्यालय दो पाली में चलाया जाये ताकि काम काजी बच्चें भी स्कूल में आ सके एवं उर्दू के अध्यापक भी हो।
11.	प्रहलाद का हाता मलिन बस्ती,	अधिकारी–2, प्रधानाचार्य–2	1. मलिन बस्ती में विद्यालय दो पाली में होना चाहिए। शिक्षा कार्यानुभव पर आधारित हो।

11.	प्रहलाद का हाता मलिन बस्ती, कानपुर	अधिकारी–2, प्रधानाचार्य–2 गणमान्य व्यक्ति–4 सभासद–1 सामान्य नागरिक–5 महिलायें–6	1. मलिन बस्ती में विद्यालय दो पाली में होना चाहिए। शिक्षा कार्यानुभव पर आधारित हो। ताकि उपयोगी/जागरूकता अभियान चलाया जाए।

सूक्ष्म नियोजन आंकड़ों को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा तथा इनका उपयोग आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के निर्माण के समय ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रम के निर्धारण में किया जायेगा।

सोशल एसेसमेंट स्टडी :–

कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी जो डा0 (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा किया गया, से ज्ञात होता है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनके विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक एवं पारिवारिक कारण हैं, इनके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:–

1. अध्ययन से पता चलता है कि कानपुर में सभी वर्गों गरीब–अमीर, हिन्दू–मुसलमान, श्रमिक, किसान, और नौकरी पेशा की जनसंख्या से ड्रापआउट आया है। इसलिए ये केवल समाज के उपेक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सभी के बीच से है।

2. विद्यालय छोड देने वाली अधिकांश बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं परन्तु कुछ सामाजिक कारणों अथवा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रतिकूल व्यवहार, अलग शौचालयों का न होना तथा घर से विद्यालयों की दूरी आदि कारणों से उन्हें विद्यालय छोडने के लिए मजबूर होना पडता हैं।

3. ह्रास–अवरोध (ड्राप आउट) वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता–पिता विद्यालयों में बच्चों से निम्न रतर के कार्य कराये जाने के कारण उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। उनके माता–पिता ने अनुभव किया कि निम्न रतर के कार्य करने से उनके बच्चे उच्च रतर की अपेक्षा हीन सामाजिक स्थिति में पहुँच जायेंगे।

4. अभिभावक सहशिक्षा वाले विद्यालयों, जो जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में लागू है, में अपनी लडकियों को भेजने में संकोच करते हैं। गॉवों में बच्चे बढती उम्र में विद्यालय जाना आरम्भ करते हैं और कक्षा–3 या 4 तक पहुँचते–पहुँचते वे 12–13 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था में पहुँच जाते है। इस अवस्था में मुस्लिम तथा कुछ रूढिवादी परिवार जैसे–यादव, लडकियों को लडकों के साथ रहना पसन्द नहीं करते है। और इस प्रकार लडकियों को शिक्षा पूर्ण किये बिना ही रोक दिया जाता है। ग्रामीण, परम्परावादी तथा रूढिवादी होते हैं। इसलिए 10–14 वर्ष की बालिकायें अधिक मात्रा में विद्यालय छोड देती हैं।

5. हमारी खोजों ने सुझाया कि कानपुर में विभिन्न अध्ययनों द्वारा सुझाये गये आर्थिक कारणों से बालिका ड्राप आउट प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अधिकांश परिवारों में बालकों का विद्यालय जाना जारी रहता है जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है। दूसरे, इन परिवारों की आय खर्च वहन कर सकने योग्य है क्योंकि इनकी आमदनी 1500 से 2800 रूपये प्रतिमाह की है इसलिए वे अपने लड़कों के साथ लडकियों को भी स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा परियोजना (बी0ई0डी0) में लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है, इसलिए लड़कियों के ड्रापआउट का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मान्यतायें हैं, जिसके कारण लडकियों के अभिभावकों में इच्छा शक्ति का अभाव है।

6. स्कूल छोडने वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चों से यह पता चलता है कि उन्होंने घरेलू कार्यों अथवा मजबूरी के कारण विद्यालय छोडा है। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने की उम्र पर पहुँचने पर बच्चों के माता–पिता उन्हें विद्यालय से हटा लेते है। बहुत से अभिभावकों ने बताया कि उनका अनुभव है कि शिक्षा का उनके लिए विशेष उपयोग नहीं है बल्कि घरेलू कार्यों में और आमदनी बढाने वाले

कार्यों में बच्चों की आवश्यकता है। अभिभावकों ने अनुभव किया कि यदि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये तो यह उनके भविष्य के लिए अधिक उपयोगी होगी।

7. बहुत से बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि दूरी के कारण उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जब एक दिन में बच्चों के द्वारा तय की गयी दूरी का हमने आंकलन किया तो यह पाया कि यह 3 या 4 किमी0 हो जाती है। 11–12 वर्ष के बच्चे के लिए यह दूरी तय करना कठिन कार्य है इसलिए अधिकांश संख्या में बच्चे पाँचवी कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं।

8. बच्चों को पढने–लिखने और रटने तक सीमित रखने वाली वर्तमान शिक्षा विधि भी ड्राप आउट का कारण है अध्ययन से पता चला कि कुल बच्चों में केवल 12 प्रतिशत बच्चे ही इस विधि से संतुष्ट हैं जबकि 88 प्रतिशत बच्चों को इस शिक्षण विधि से कठिनाई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान शिक्षण विधि दोषपूर्ण है और यह भी ड्रापआउट को बढावा दे रही है।

9. ड्राप आउट वाले बच्चों की कठिनाई का दूसरा कारण पाठ्य–पुस्तकों द्वारा कराये जाने/पढाये जाने वाले कक्षा कार्य की है। ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए कोई विशेष पाठ्य–पुस्तकें नहीं हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में वही पाठ्य–पुस्तकें पढायी जाती हैं, जो राज्य सरकार के अन्य शहरी स्कूलों में पढायी जाती हैं ये पाठ्य–पुस्तकें शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गयी हैं। सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित वर्ग के बच्चे इन पुस्तकों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों ने बताया कि विद्यार्थी इन पुस्तकों की भाषा समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये पुस्तकें उनके सामाजिक वातावरण से मेल नहीं खाती हैं इसलिए ये बच्चों में रूचि पैदा करने में असमर्थ हैं। यह व्यर्थ की बात है कि इन विद्यालयों के बच्चे उपेक्षित और कृषक वर्ग से आते हैं, बल्कि पुस्तकें उन्हें उनकी योग्यता–क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। बच्चों को दो तरह की दुनिया के बीच उलझना पड़ता है। एक, उनकी संस्कृति पर आधारित और दूसरी, शहरी संस्कृति पर आधारित। पुस्तकें अधिक मात्रा में शहर आधारित हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से रूचि खो देते है।

10. विद्यालयीय पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया कलाप बच्चों को न केवल सामाजिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रति उनकी रूचि को बढाते हैं एवं विधालय और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि इन क्रिया कलापों में सहभागित्व विद्यार्थियों के सामाजिक कार्य व्यवहार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। केवल 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने विद्यालय के आन्तरिक खेल–कूदों में भाग लिया जबकि 65 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी भी प्रकार की क्रिया–कलाप में भाग लेने से वंचित बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ड्राप आउट वाले अधिकांश बच्चे विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाकलापों, जिन्हें शिक्षा के साथ आवश्यक समझा गया से वंचित रहते हैं।

11. उल्लेखनीय है कि सोशल एसेसमेंट स्टडी में निकाले गये कानपुर की शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं की उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) 'उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.4 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इसके आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलनेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – कानपुर–नगर

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	332902	283584	616486	253006	215524	468529	76
2001-02	340892	290390	631282	293167	249735	542902	86
2002-03	349073	297359	646432	328129	279518	607646	94
2003-04	357451	304496	661947	364600	310586	675186	102
2004-05	366030	311804	677834	395312	336748	732060	108
2005-06	374814	319287	694102	419792	357602	777394	112
2006-07	383810	326950	710760	437543	372723	810266	114
2007-08	393021	334797	727818	455905	388364	844269	116
2008-09	402454	342832	745286	474896	404542	879437	118
2009-10	412113	351060	763173	494535	421272	915807	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – कानपुर–नगर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	138523	118001	256524	106663	90861	197523	77
2001-02	141848	120833	262681	116315	99083	215398	82
2002-03	145252	123733	268985	126369	107648	234017	87
2003-04	148738	126703	275441	135352	115299	250651	91
2004-05	152308	129743	282051	144692	123256	267949	95
2005-06	155963	132857	288820	154403	131529	285932	99
2006-07	159706	136046	295752	164497	140127	304625	103
2007-08	163539	139311	302850	173351	147670	321021	106
2008-09	167464	142654	310118	180861	154067	334928	108
2009-10	171483	146078	317561	188631	160686	349317	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	27
2001-02	24
2002-03	20
2003-04	16
2004-05	12
2005-06	8
2006-07	4
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11498
DOC, No 09-07-2002
Date .....

अध्याय – 5
समस्यायें एवं रणनीति

जनपद के विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन के प्राप्त विचारों के विश्लेषणोंपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गयी है। इससे छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती/नये भवनों का निर्माण, जीर्वशीण भवनों की मरम्मत, हैण्डपाइप एवं शौचालयों का निर्माण साज सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया। सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल के बाहर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सका और उनका ठहराव सुनिश्चित किया जा सकें।

समस्यायें	रणनीति
(अ) **पहुँच :–**	
आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।	सामाजिक चेतना उत्पन्न करना। जिससे बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में परिर्वतन हो सके। इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्री/कार्यकर्ता, ए0एन0एम0 कलाजत्था, जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता एवं जागरूक नागरिकों के सहयोग के आपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
शिक्षा के उपदेशता संदिग्ध है	उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे विद्यार्थियों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो सके और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। विशेषकर ग्रामीण आंचल की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एवं इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में मेंहदी, फाईन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चटाई निर्माण, जूट कपड़े के बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा। सिलाई शिक्षा के लिये मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	1.5 किमी. तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथनिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा 6 से 8 वय वर्ग के 30 बच्चों में 1 कि0मी0 विद्यालय से दूरी के नानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुर्नस्थापित किया जायेगा। विद्यालय की पुर्नस्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये (DUDA) एंव विकास प्राधिकरण (KDA) का सहयोग लिया जायेगा।

भौगोलिक कठनाई जैसे नदी, नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा के अवरोध।	भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का आभाव जैसे–फर्नीचर, बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा–कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी।	छात्रा संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालयों, चहारदीवारी की व्यवस्था नही है। वहां पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये काष्ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

(ब) ठहराव :–

शिक्षा के प्रति अभिभावक, बच्चों में जागरूकता का अभाव। अभिभावक की सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़ें।	शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एकमात्र रोजगार उपलब्ध कराना। जब कि अभिभावक की सोच है कि उसका बच्चा पढ़–लिख कर नौकरी करें। यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है। इस सोच में सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
बच्चों के व्यक्तित्व रूचि में कमी।	बच्चों को विद्यालय बोझिल न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा। जैसे खेल–खेल में सीखना, क्रियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, स्नय विज्ञान चक्र को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर सभी विषयों में बच्चों में रूचि उत्पन्न करना, सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रियाकलापों का समायोजन एवं क्षेत्राभ्रमण आदि का समावेष्टित किया जायेगा।
शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक का छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार हो, मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं में समन्वयन हो। शिक्षक की छवि छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावोत्पादक के रूप से प्रतिबिम्ब हो, इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा। शिक्षक को स्वाध्याय हेतु समय–समय पर प्रेरित किया जायेगा। जिससे उसके विषय वस्तु के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सकें। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना होगा। इसे प्रशिक्षण में समावेशित किया जायेगा।

PRASHANT

विद्यालय में छात्र सं0 के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जायेगी। 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित हो सकें। वहा उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही प्रबन्धतन्त्र का पूर्ण संचालन करें। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भली–भॉति परिचित होगें तथा अध्यापकों की कमी दूर होगी। इस प्रकार से हमें माध्यमिक शिक्षा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगें।
अध्यापक से अपने विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों के कार्यों का निष्पादन कराया जाना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से करायें जायें। जिससे उनके शैक्षणिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा छात्रा प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को अपेक्षित महसूस न करें। अध्यापकों को पठन–पाठन के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों की प्रगति में अध्यापक की भागेदारी सुनिश्चित की जायेगी। कमजोर छात्रों की विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। एम. एल.एल. को आधार मानकर अध्यापक की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्टी की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टी पर वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा। इस प्रकार अध्यापक की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।
विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना।	बच्चों कों समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान से 6'X6" की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री (टी0एल0एम0) बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी। इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा तथा अध्यापकों का शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण में फूलो के पौधो, वृक्षारोपण, कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी कार्य छात्रों से कराये जायेगें। जिससे शिक्षा में रूचि उत्पन्न होगी। प्रत्येक कक्षा के लिये खेलकूद का समय निर्धारित किया जायेगा। बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा। जब बच्चें में यह भावना जागृत हो जायेगी तो स्वतः ही ड्राप आउट की समस्या समाप्त हो जायेगी।
गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	कक्षा 1 से 8 तक के अनु. जाति/अनु.ज.जाति एवं समस्त छात्राओ को को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं।

(स) गुणवत्ता :–

अध्यापकों का छात्रानुपात/ मानक के अनुरूप न होना।	विद्यालय में अध्यापकों की कमी तथा अधिक छात्रों में कम अध्यापकों के कारण पठन पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है। अतः 40:1 के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापक प्रति विद्यालय प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की कमी के फलस्वरूप विज्ञान,

	गणित, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत के शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिये गृहविज्ञान अध्यापकों का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अध्यापकों का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करें इसके लिए विभागीय सूचनाएं विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी। तथा मात्र सूचनाओं के पुष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विधालयों को उपलब्ध करायी जायेगी । इससे अध्यापकों का बार–बार सूचनायें बनाने एवं उसे पहुँचाने में लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा तथा विधालय में ठहराव बना रहेगा। विधालय सम्बन्धी सूचनाओं के लिए ई0एम0आई0ए0 में उपलब्ध आँकडों का प्रयोग किया जायेगा ।
अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरूचि	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा। समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक / वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी।
छात्रों के गणवेशों को उपेक्षित करना।	गणवेश के आभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन संभव नही है। साथ ही सामाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत / नर्सरी विद्यालय के छात्रों का बाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते है। अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के बाह्य व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित करेगा। इस हेतु छात्र वृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावकों को गणवेश तैयार करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
अध्यापक, अभिभावकों एवं छात्रों में सामन्जस्य न होना।	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सम्पर्क बना रहें इस हेतु त्रैमासिक त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं / विशेषकर अपवंचित / उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा तथा उनके विचारों / समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वर्ष में दो बार अभिभावकों को बच्चों की प्रगति के विषय में अवगत कराया जायेगा तथा कमजोर बच्चों के लिये निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटिपूरक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात् कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुट्टियों में की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन बच्चों की शिक्षण विद्या में भी मूल्यांकन को समावेदिष्ट कराया जायेगा। जैसे – शब्द / अर्थज्ञान, अन्ताक्षरी, पहाड़े, गिनती एवं विषय विशेष पर सामूहिक चर्चा आदि। प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए प्रथम, द्वितीय

	एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा।
शैक्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण की कमी	एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्यवक, प्र.उप.वि.नि., स.बे.शि. अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण किया जायेगा। तद्नुसार विद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जायेगा और निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेगें। त्रिस्तरीय (विद्यालय–न्याय पंचायत–खण्ड संसाधन केन्द्र–डायट) पर्यवेक्षण कर शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का सकारात्मक निदान किया जायेगा।
सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव	अभिभावकों / ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो सकें कि यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इसी से आने वाले समय में गॉव की प्रगति हो सकेगी तथा जागरूक नागरिक बनेगें। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगी। माइक्रो प्लानिंग एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु गॉव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, स्वच्छता, अनुशासन, विद्यालय की बागवानी एवं साज सज्जा आदि कार्यों में समाज की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी। अध्यापकों के अभाव में ग्राम के पढे–लिखे व्यक्तियों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने एवं गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चो के लिए गणवेश, स्लेट, कापी, पंन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।
विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर बस्तीवार सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए.डी.पी.आई. को बच्चों के लिये उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भोजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकताओं वालों बच्चों के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण में इस प्रकार के बच्चों के प्रति व्यवहार, शिक्षण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी।
बाल श्रमिक तथा उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	जनपद के वुड कार्विंग, होजरी, चमड़ा, चप्पल एवं अन्य व्यवसाय में लगे 6–14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा। जिससे बच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश लें तथा शिक्षा पूर्ण करें। श्रम विभाग को सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराकर बच्चों को मुख्य धारा में उनकी योग्यता के परीक्षणोपरान्त जोड़ा जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये रणनीति बनायी जायेगी।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच में विस्तार – औपचारिक विद्यालय

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–11 एवं 11–14 वय–वर्ग के बच्चों को विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा के सुदृढ़ीकृत हेतु संस्थागत विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:–

नवीन प्राथमिक विधालय स्थापना :– राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विधालय की स्थापना ऐसी असेवित ग्रामों/बस्तियों में प्रस्तावित हैं जिनकी आबादी 300 तथा दूरी 1.5 किमी0 अथवा इससे अधिक पर विद्यालय नहीं है। जनपद में कराई गयी जॉच के आधार पर 106 असेवित बस्तियों व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिसका विकास खण्डवार असेवित ग्राम/बस्तियों में दर्शाया गया है।

क्रम	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या
1.	कल्यानपुर	05
2.	विधनू	14
3.	सरसौल	10
4.	चौबेपुर	17
5.	शिवराजपुर	07
6.	बिल्हौर	05
7.	ककवन	07
8.	भीतरगांव	10
9.	पतारा	14
10.	घाटमपुर	17
11.	नगर निगम	00
	योग	106

उक्त असेवित ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षो में कराया जायेगा। प्रथम वर्ष में 56 विद्यालय तथा द्वितीय वर्ष में 50 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा। जिससे असेवित ग्रामों/बस्तियों के बच्चों को विद्यालयी सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी तथा सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विधालयों की स्थापना :– मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियां जहाँ कुल आबादी 800 तथा दूरी 3 किमी0 पर विद्यालय नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें। जनपद में विभागीय सर्वेक्षण के आधार पर 44 असेवित

ग्राम/बस्तियां, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नही है। सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार कक्षा 8 तक की शिक्षा सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से दो प्राथमिक विद्यालय में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। जो अधिक सुदृढ़ ढाँचे वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रांगड में होगा। सर्वशिक्षा के नानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्नवत होगी।

विकास खण्डवार असेवित बस्तियां

क्रम	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या	2:1 के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	
1.	कल्यानपुर	00	1– कुल प्राथमिक विद्यालय	1444
2.	विधनू	05	2– प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	106
3.	सरसौल	04	3– योग	1550
4.	चौबेपुर	06	4– योग/2	775
5.	शिवराजपुर	02	5– उच्च प्राथमिक विद्यालय	292
6.	बिल्हौर	01	6– माध्यमिक विद्यालय	325
7.	ककवन	06	7– योग	617
8.	भीतरगांव	02	8– वांछित विद्यालय (4–7)	158
9.	पतारा	14		
10.	घाटमपुर	04		
11.	नगर निगम	00		
	योग	44		

विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में कराया जायेगा। विद्यालय निर्माण हेतु स्थल चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। स्थल चयन के साथ ही भूमि की व्यवस्था, उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगड में कराया जायेगा। जिसनें भूमि उपलब्ध होगी। जहाँ बच्चें सुविधापूर्वक विद्यालय पहुँच सकें। विद्यालय निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण भवन निर्माण करायेगी। जिसका तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता ग्रामीण सेवा द्वारा किया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुये की जायेगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

शिक्षक व्यवस्था :– प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ायी जायेगी। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक की व्यवस्था स्थापित हैं।

विद्यालय साज–सज्जा :– प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें टाट पट्टी, श्याम पट्ट, मेज कुर्सी, अध्यापकों के लिये अलमारी, सन्दूक, पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काष्ठोपकरण, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेय जल, शौचालय एवं चहारदीवारी :– नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प स्थापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय प्रांगड कां सुरक्षित एवं सुसज्जित रखने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था :– सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को सौपा गया है। जिसके अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा कराया जायेगा।

PRASHANT

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच में विस्तार – वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

संविधान के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है। स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चे, बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे, पूरे समय स्कूल में न रहने वाले बच्चे तथा काम–काजी बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में चलने वाली सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। औपचारिक शिक्षा योजना के वर्तमान स्वरूप एवं उनके कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियाँ पाई गयीं।

अतः भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप को पुनरीक्षित कर इस योजना के स्थान पर शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0) तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना (ए0आई0ई0) के रूप में चलाये जाने का दिनांक 1–4–2000 से निर्णय लिया गया।

आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' का अंग होगी।

ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 कार्यक्रम का लक्ष्य समूह (6–14) वर्ष के बच्चे है। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

यह योजना मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:–

1. प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।
2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों का संचालन करना।
3. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–8 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्रयास करके औपचारिक अथवा ई0जी0एस0 केन्द्रों में भरती कराया जायेगा।

वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा कार्यक्रमः–

6–8 वय वर्ग के सभी बच्चों का औपचारिक अथवा ई0जी0एस0 केन्द्र में प्रवेश दिलाने के बाद ऐसे बच्चे जो 9–14 वय वर्ग के हैं–

1. जो पूर्व में विद्यालयों से ड्रापआउट हो चुके है।
2. अथवा कभी विद्यालयों में प्रविष्ट ही नहीं हुए है; ऐसे बच्चेः–

अ.) सड़क छाप　　ब.) घुमन्तू बच्चे　　स.) कामकाजी बच्चे

य.) लड़कियां　　र.) रूढ़िग्रस्त धर्मावलम्बी।　　द.) विकलांग बच्चे

ऐसे सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार केन्दों अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिजकोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/मदरसों में बालक/बालिका को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से भी इनके क्षेत्रों में भी ए0आई0ई0 योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहाँ पर 9–14 वय वर्ग के ड्रापआउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होगें वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगें। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है।इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई जिस स्तर के बच्चे होगें पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा इसके लिए निकट के प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0 के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाने जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

इस योजना के संचालन के लिए स्थल चयन हेतु बस्तियों एवं संख्या के चिन्हीकरण के लिए ग्राम/बस्ती/घर–घर सर्वे कराया जायेगा। सर्वे से प्राप्त रिर्पोट के आधार पर (माइक्रो प्लानिंग) ग्राम/बस्ती परक योजना तैयार की जायेगी। चूंकि अभी तक इस जनपद में माइक्रोप्लानिंग का कार्य पूर्ण नही हुआ है। इसलिए मई 2000 में करायी गयी बाल गणना के आधार पर विकास खण्ड स्तर पर तथा नगर क्षेत्र हेतु ऐसे बच्चों की सूचना संकलित की गयी जो स्कूल के बाहर है। ऐसे बच्चों का वय वर्ग तथा श्रेणीवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है।

कुल पढ़ने योग्य बच्चों की संख्या आयु वर्गानुसार

वर्ग	6–11 वय वर्ग कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग कुल बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनु जाति	77402	71448	148850	46501	42809	89310
पिछड़ी	103203	95265	108468	62001	57080	119081
अल्प संख्यक	25801	23817	49618	15500	14270	29770
अन्य	51602	47632	99234	31001	28540	59541
योग	258008	238162	496170	155003	142099	297702

आयु वर्गानुसार कुल पढ़ने योग्य बच्चों की संख्या (6–8 वय वर्ग के)

6–11 वय वर्ग कुल बच्चे			6–11 के स्कूल जाने वाले बच्चे			6–8 वय वर्ग कुल बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
258008	238162	496170	244837	224704	469541	47935	89882	137817

9–14 वय वर्ग

वर्ग	कुल बच्चे					विद्यालय न जाने वाले बच्चे				
	अनु.जा.	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग	अनु.जा.	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	43810	87621	21905	65716	219052	5751	11502	2876	8626	28755
बालिका	40105	80211	20053	60158	200527	5598	11196	2799	8397	27990
योग	83915	167832	41958	125874	419579	11349	22698	5675	17023	56745

कामकाजी बच्चे

वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजाति	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	55	–	64	72	39	230
बालिका	18	–	03	04	07	32
योग	73	–	67	76	46	262

सड़क छाप बच्चे

वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजाति	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	18	–	07	27	51	103
बालिका	02	–	01	–	05	08
योग	20	–	08	27	56	111

विकलांग बच्चे

वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजाति	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	268	–	289	172	289	1018
बालिका	106	–	301	189	183	779
योग	374	–	590	361	272	1797

ए.आई.ई. मे नामांकन हेतु पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरग (9–14)

क्रम	व्यवसाय जिसमें बच्चे अपने अभिभावक के मददगार है	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की जनसंख्या/ प्रतिशत	व्यवसाय में मदद करने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल जाने वाले बच्चों की सं0			स्कूल न जाने वाले बच्चों की सं0		
			B.	G.	T.	B.	G.	T.
1.	कृषि	80%	175242	160422	335664	23004	22392	45396
2.	पशुपालन	10%	21905	20053	41958	2875	2799	5674
3.	दुकानदारी	05%	10953	10026	20979	1438	1399	2837
4.	कुम्हार	01%	2190	2004	4194	287	280	567
5.	बढ़ई	01%	2192	2006	4198	289	279	568
6.	दर्जी	01%	2192	2005	4197	288	281	569
7.	अन्य	02%	4378	4011	8389	574	560	1134

PRASHANT

उद्योगों/लघु उद्योगों/कुटीर उद्योगों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत बच्चों का विवरण

ए.आई.ई. मे नामांकन हेतु 31.12.2000 की स्थिति

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम : प्रपत्र – 1 जनपद–कानपुर नगर

क्रम	उद्योग का नाम व प्रकृति	ग्राम/बस्ती जहां उद्योग स्थित है।	उद्योगों से सम्बद्ध 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल जाने वाले बच्चों की सं0			स्कूल न जाने वाले बच्चों की सं0		
			B.	G.	T.	B.	G.	T.
1.	,खतरनाक	ग्रामीण क्षेत्र	–	–	–	19	–	19
		नगर क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
2.	गैर खतरनाक	ग्रामीण क्षेत्र	–	–	–	38	–	38
		नगर क्षेत्र	–	–	–	768	–	768

ए.आई.ई. योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित स्थलों का विवरण

स्कूल न जाने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 31.12.2000

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम : जनपद–कानपुर नगर

शाला त्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम				बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्ती			कामकाजी बहुलता वाले क्षेत्र		
वि0ख0 का नाम	15–25 बच्चे उपलब्ध	25–50 बच्चे उपलब्ध	50 से अधिक	15–25 बच्चे उपलब्ध	25–50 बच्चे उपलब्ध	50 से अधिक	15–25 बच्चे उपलब्ध	25–50 बच्चे उपलब्ध	50 से अधिक
कल्यानपुर	03	02	–	–	–	–	–	–	–
विधनू	10	04	–	–	–	–	–	–	–
सरसौल	18	09	–	–	–	–	–	–	–
चौबेपुर	03	07	–	–	–	–	–	–	–
शिवराजपुर	08	16	–	–	–	–	–	–	–
बिल्हौर	29	08	–	–	–	–	–	–	–
ककवन	15	21	–	–	–	–	–	–	–
भीतरगांव	02	04	–	–	–	–	–	–	–
पतारा	01	05	–	–	–	–	–	–	–
घाटमपुर	02	12	–	–	–	–	–	–	–
नगर क्षेत्र	56	63	58	–	–	–	–	–	–

ऐसे सभी बच्चों को विभिन्न माध्यमों से प्राथनिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न योजनायें चलायी जायेगी।

1. **ब्रिजकोर्स /ग्रीष्मकालीन शिविर** :– सड़क/प्लेटफार्म/मलिन बस्तियों/दुकानों/घूमन्तु बच्चो/नौकरी पेशा/कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिक है, खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग सामान्यत 9–14 है, के लिए ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर संचालित किये जायेंगे। इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहें इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह की हो सकती है।

PRASHANT

प्रत्येक एक ग्रीष्मकालीन शिविर में न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगें। यह शिविर/आवासीय होंगे, इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। इनका संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। इनकी लागत प्राइमरी/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत से कुछ अधिक हो सकती है। परन्तु प्रति छात्र 9000 रूपये से अधिक नहीं होगी। आवासीय सुविधा यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये। तो उसे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त एक केयरटेकर, दो पैरा टीचर, एक कुक होगें।

विभिन्न प्रकार के ब्रिज कोर्स

1. '5–8 वय वर्ग – प्रारम्भिक शिक्षा की तैयारी के लिये 60–75 दिन का, जिसमें एक अध्यापक औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की तैयारी कराकर उन्हें अगले सत्र में प्रवेश दिलावे।

2. 7–9 वय वर्ग – जो कहीं भी प्रविष्ट नहीं है अथवा स्कूल से ड्रा.आ. 2–4 माह का कोर्स औपचारिक विद्यालय के प्र. अ. की देखरेख में ऐसे बच्चों को उचित कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार करने हेतु एक पैरा टीचर द्वारा चलाया जाता है। गैर आवासीय होगा।

3. 9–11 वय वर्ग – कामकाजी बच्चे 4–6 माह की अवधि का आवासीय कैम्प होता है औपचारिक विद्यालयों से अलग स्थानों पर चलाये जाते है। बच्चे एवं कैम्प चलाने वाले सभी पूरे समय कैम्प में रहते हैं। कैम्प की समाप्ति के बाद बच्चे कक्षा 5 की सामान्य परीक्षा सम्मिलित होते है तथा अगले सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लेते है।

4. 12–14 वय वर्ग – कामकाजी बच्चे 12–18 माह के आवासीय कैम्प होते है यहा बच्चे 7–8 की परीक्षा में बैठते है तथा परीक्षा के समाप्ति के बाद यह हॉस्टल ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई जारी कर सकते है अथवा आई.टी.आई ज्वाइन रहते है।

5. 9–14 वय वर्ग – जो कहीं भी प्रविष्ट नहीं है अथवा स्कूल से ड्रा.आ. 12–18 माह के बालिकाओं हेतु आवासीय कैम्प होते है। कक्षा 7, 8 की परीक्षा में बैठाया जाता है तथा जीवनोपयोगी कला कौशल सिखलाये जाते है।

अल्प आवासीय घर/हाफ वे होम्स :– सड़क छाप बच्चों, घुमन्तू बच्चों के लिए जहां पर उन्हे खाने, रहने, स्वास्थ्य एवं सलाह का स्कूली शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था होती है। यह प्लेटफार्म, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के करीब चलाये जाते है। भावनात्मक सहायता भी दी जाती है।

रेमैडियल टीचिंग :– औपचारिक विद्यालयों में समयोजित करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है।

बालिका सम्पर्क केन्द्र :– शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है एवं समूह में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

मकतब एवं मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना :– इसमें मकतब/मदरसों में धार्मिक बच्चों को औपचारिक विद्यालयों की स्वीकृति शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिज कोष चलाकर तैयार किया जाता है अथवा मकतब/मदरसों में उन्हीं के समुदाय से एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। जो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था करते है।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन विशेष स्थानों का चयन किया जायेगा।

1. जिनमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है।
2. स्कूलों में लड़कियों का नामांकन सबसे कम है।
3. अल्पसंख्यक, अनु.जाति, पिछडी महिलाओं की संख्या अधिक है।
4. जहां महिला कार्य क्षेत्र आसानी से सुलभ है।

बाल सुरक्षा गृह :– ऐसी बालिकायें जो अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख करने के कारण स्कूल नहो जाती है। उनके भाई बहनों के लिए ऐसे बाल सुरक्षा गृहों की स्थापना की जाती है। जहां 1 से 6 वर्ष के बच्चों की देख–रेख की जाती है।

बाल घर :– 5–7 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक स्कूलों में भर्ती करने के उद्देश्य से चलाये जाते है।

इन स्थानों पर योजनायें चलाने के लिए स्कूल के अन्दर एवं स्कूल की बाहर की समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार का सर्वे कराकर लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की जायेगी।

1. पहुँच का विस्तार :– नये स्कूलों की स्थापना करके
2. स्कूली सुविधाओं का विस्तार :– शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराकर।
3. ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्र चलाकर।
4. मलिन बस्तियों में 10–12 माह के शिविर चलाकर।
5. कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करके (15 बालिकाओं हेतु) एक कौशल विकास केन्द्र की निम्न लागत होगी। (क) शिक्षण सहायक सामग्री–1500, (ख) अनुश्रवक का मानदेय–72000, (ग) आकस्मिक–20 हजार, (घ) कौशल विकास इन्स्ट्रक्टर – 2160, (ड़) प्रशिक्षण–1000, (च) सामग्री–2400 (छ) यूनिट दर – 1084

हमारी नर्सरी :– समय 3 से 6 माह प्रवेश से पूर्व कक्षा 1, 2, 3 में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से चलाये जाते है। (20–30 छात्र)

25×100	=	2500 – टी.एल.एम.	2000 – विविध व्यय
		1500 – शिक्षण सामग्री	500 – खिलौने
		2400 – इन्सट्रेक्टर	1000 – प्रशिक्षण
		396 – यूनिट दर	

अतिरिक्त शिक्षण कक्षायें :– ऐसे स्थानों पर जहां अनु. जाति, अनु. जनजाति, अल्प संख्यक, जाति को बालिकाए उपलब्ध है।

Early Child Hood Education : आंगनवाड़ी केन्द्रों को ही अतिरिक्त मानदेय एवं सामग्री देकर 3–6 वर्य वर्ग के बच्चों को 0–3 वर्ष के बच्चों को एक साथ रखकर व्यवस्था की जायेगी यथा

1. अतिरिक्त मानदेय – 250 / 125 प्रतिमाह, 2– सामग्री एवं खिलौने – 5000 प्रति केन्द्र
3. विविध व्यय – 1500

विशेष वर्ग की शिक्षा – समेकित शिक्षा :– समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विविध विंकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांगता /अक्षमता के प्रकार :–

1. दृष्टि विंकलांगता 2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता 3. मानसिक मन्दता
4. अधिगम मन्दता 5. अस्थि विकार विकलांगता

विकलांगता / अक्षमता के कारण :– बच्चों में कुछ विकलांगताये / अक्षमताये जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चों की अधिगम अक्षनता के कारण निम्न हो सकते है।

1. बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति।
2. देखने एवं बोलने में कठिनाई।
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या न होना, अंगो की विकृति, मांसपेशियों में ताल–मेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।
5. दृष्टि तथा अंगों में ताल मेल न होना।
6. कुछ कारण बच्चों के घर–परिवार व विद्यालय से सम्बन्धित होते है।
   - क– माता पिता के स्नेह की कमी।
   - ख– बच्चों को हीन भावना से देखना।
   - ग– सीखने का समान अवसर न मिलना।
   - घ– शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
   - ड– शिक्षक का बच्चों से कम लगाव।
   - च– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम :–

1. बच्चों में :–
   - क– आत्म निर्भरता की कमी
   - ख– चलने में परेशानी
   - ग– समाज में उपेक्षित

2. परिवार में :–

क– अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

ख– आर्थिक बोझ अधिक होना।

3. समाज में :–

क– ध्यान देने की आवश्यकता।

ख– उत्पादन में कमी।

ग– समाज के एकीकरण में कमी।

4. संवेदीकरण :–

क– समुदाय का

ख– परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग दर्शन

ग– अध्यापकों का संवेदीकरण।

1. ऐसे बच्चो की विशेष व्यवस्था एवं शिक्षा के लिए शिक्षकों के सेवा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जाता है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विद्या पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन की प्रशिक्षण व्यवस्था है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया है। इस प्रकार 44 मास्टर ट्रेनर्स– इनकास प्रशिक्षण 10 दिवसीय एडवान्स स्टडी इन स्पेशल एजुकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिर्सच सेन्टर, कडकडडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13– लूथरगंज, इलाहाबाद में किया जाना है।

2. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास – शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया गया है तथा पांच विकलांगताओं दृष्टि, श्रृव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर तैयार किये गये है। "जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या सकते हैं" फोल्डर विकसित किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा तीन की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दोस्ती नामक पाठ् सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता शामिल किया गया है।

ई.जी.एस./ए.आई.ई केन्द्रो की व्यवस्था एवं संचालन

ग्राम शिक्षा समिति – अनुश्रवण एवं संचालन

1– अध्यक्ष – उप ग्राम प्रधान

2– प्रधानाध्यापक – सचिव/सदस्य

3– सदस्य – महिला

4– सदस्य – अनुसूचित

5– सदस्य – पिछडा वर्ग

6– सदस्य – पुरूष

7– अभिभावक – अधिक

8– अभिभावक – कमजोर

ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव बनाकर ब्लाक शिक्षा समिति को प्रस्तुत करेगी

ब्लाक शिक्षा समिति :–

1–	अध्यक्ष	–	क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
2–	सचिव	–	ए.बी.एस.ए./ एस.डी.आई.
3–	सदस्य	–	वरिष्ठ ग्राम प्रधान
4–	सदस्य	–	वरिष्ठ प्रधानाध्यापक

यह समिति प्रस्तावों की समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन कर अपनी संस्तुति सहित बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिसे सर्व शिक्षा अभियान संचालन समिति कहा गया है, को बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रस्तुत करेगा।

जिला स्तरीय समिति :–

1–	अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
2–	सदस्य/सचिव	–	बेसिक शिक्षा अधिकारी
3–	सदस्य	–	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
4–	सदस्य	–	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी
5–	सदस्य	–	जिला पंचायत राज्य अधिकारी
6–	सदस्य	–	वित्त एवं लेखाधिकारी
7–	सदस्य	–	स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि – 2, जिलाधिकारी द्वारा नामांकित

इस समिति का दायित्व प्रस्ताव तैयार करना एवं कार्यक्रम का संचालन करने का होगा। यह समिति स्वय सेवी संगठनों को भी कार्यक्रम संचालन की अनुमति दे सकती हैं परन्तु शासन एवं एन.जी.ओ. के कार्यक्रम ओवरलैप न हो।

जिस क्षेत्र विशेष में वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र खोलने की आवश्यकता हो। उस क्षेत्र विशेष का प्रस्ताव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्ताव करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गयी है :–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।
2 बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम हो।
3. ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहां सड़क छाप, बाल श्रमिक एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।
5. ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालय न हो।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा, किसी विवाद रहित स्थान पर होगा, जो पहुँच की दृष्टि से पूर्व सन्दर्भित वर्ग के बच्चों के उपयुक्त होगा।

केन्द्र संचालन का समय :– विशेष परिस्थितियों को छोडकर केन्द्रों का संचालन समय देर शाम एवं रात्रि को नही रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घन्टे संचालित किये जायेगे। 1 घन्टा अतिरिक्त समय अनुदेशक को देना होगा। जिसमें वह टी.एल.एम. तैयार करेंगा तथा प्रचार प्रसार कार्य करेगा।

अनुदेशक का चयन :– अनुदेशक यथासंभव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन करेगा।अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति हाई स्कूल के अंको के प्रतिशत की ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर करेगी। नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक/सम्बन्धित क्षेत्र का सभासद/नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक की समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसे में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने के स्थिति में मकतब/मदरसें में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम न हो, चयनित करने का अधिकार होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक है तथा आयु 21 वर्ष जहां पर स्नातक उपलब्ध न हो। वहां इण्टर उर्त्तीण महिला का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का मानदेय :– 1000 रूपये प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते द्वारा चेक के माध्यम से, नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से चेक नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :– 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्र में किया जायेगा। कोई मानदेय देय नहीं है। 1500 प्रति अनुदेशक की दर से खर्च किया जायेगा। प्रत्येक माह न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में एक दिवसीय बैठक में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पर्यवेक्षण :– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत ससांधन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में पर्यवेक्षण नगर शिक्षा अधिकारी तथा सी.आर.सी. द्वारा किया जायेगा। विकास खण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा भी पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा।

निःशुल्क सामग्री वितरण :– प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा समिति के खाते में सीधे हस्तानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य का नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशक को उपलब्ध करायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामाकिंत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मत से किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन :– अनुदेशकों द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही/छमाही/वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यह अनुदेशक का दायित्व होगा कि वह मुख्य धारा में शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश दिला दे।

अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति/ विकास खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशक द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार के सम्बन्ध में अभिभावकों एवं शिक्षा समिति को लगातार अवगत करायें। वार्षिक परीक्षा पास के प्रधानाध्यापक द्वारा ली जायेगी।

वित्तीय मानक

प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए 845.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष एवं अपर प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए 1200.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष होगा।

क्रम	अनुदेशक का मानदेय	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	1000/–प्र0मा0प्र0अनु0	2000/–प्र0मा0दो अनुदेशकों के लिए 1000/–प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	1500/–प्रतिवर्ष 30 दिनों के लिए 50/–प्रति दिन	4000/–प्रतिवर्ष दो अनुदेशक 40 दिनों के लिए 50/–प्रति दिन
3.	बच्चों को शिक्षण सामग्री	100/–प्रति छात्र/छात्रा	150/–प्रति छात्र/छात्रा
4.	केन्द्रों की शिक्षण सामग्री	1100/–प्रति केन्द्र	1200/–प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र आकस्मिक निधि	468.75/–प्रति केन्द्र	500/–प्रति केन्द्र

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत होगी:–

1. 80–100 केन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख प्रति वर्ष
2. 50–80 केन्द्रों के मध्य – 2.00 लाख प्रति वर्ष
3. 50–25 केन्द्रों के मध्य – 1.50 लाख प्रति वर्ष
4. 25 से कम केन्द्रों के मध्य – 1.00 लाख प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स/शिविरों के लिए किसी भी दशा में 3,000रू0 प्रति छात्र/छात्रा से अधिक न हो।

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका:–

1. 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण।
2. कार्यक्रन के संचालन हेतु वातावरण तैयार करना।
3. अनुदेशक का चयन।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रों की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार से निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रयकर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त केन्द्रों का दायित्व सौंपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति,बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों के प्रबन्धन उनका प्रतिदिन निरीक्षण करना।
8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिकाः–

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रो प्लानिंग कराना तथा उपलब्ध का अध्ययन एवं समीक्षा करना व प्रस्तावों को तैयार करना।

3. क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स (सी0आर0पी0) की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण–अनुश्रवण करना।

4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्वः–

1. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रो प्लानिंग कराकर आवश्यकतानुसार अप–वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर समीक्षा करना।
2. केन्द्र/ब्रिजकोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावों को स्टेट सोसायटी को प्रस्तुत करना।
3. कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहयोग कर कार्यक्रम संचालित करना।
5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना।
6. स्टेट सोसायटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मद–वार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियो के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति, स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रम संचालनार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना।

ग्रीष्म कालीन शिविर

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			अनुसूचित जाति			कुल 6–11 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
		2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	258008	238162	496170	244837	224704	469541	13171	13458	26629

बाल घर

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			अनुसूचित जाति			कुल 6–8 वय वर्ग के बच्चे		
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
		2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	29381	26964	56345

ई0जी0एस0 केन्द्रों की सूची

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या			पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			परिषदीय/ मान्यता विधालय का नाम एवं दूरी
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	
		2080622	1888740	3969362	258008	238162	496170	244837	224704	469541	13171	13458	26629	

ए0आई0ई0 केन्द्रों की सूची (प्राथमिक स्तर)

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			6–11 कुल संख्या			पढ़ने जाने वाले 6–11 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे			परिषदीय/ मान्यता विधालय का नाम एवं दूरी
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	
		2080622	1888740	3969362	258008	238162	496170	244837	224704	469541	13171	13171	26629	

ए0आई0ई0 केन्द्रों की सूची (उच्च प्रा0स्तर 11–14 वय वर्ग)

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			11–14 कुल संख्या			पढ़ने जाने वाले 11–14 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे			परिषदीय/ मान्यता विधालय का नाम एवं दूरी
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	
		2080622	1888740	3969362	155003	122699	297702	120249	109508	229757	34754	33191	66945	

बिज कोर्स केन्द्रों की सूची

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			अनुसूचित जाति			कुल 6–14 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	यो
		2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	413011	300861	713872	365086	334212	699298	47925	46650	94575

कार्यक्रम की सफलता एवं संचालन की व्यवस्था

1. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम/बस्ती स्तर पर विचार विभिन्न समूहों से किया गया:–
   1. महिला समूहों से
   2. अनु.जाति/अनु.जनजाति बहुल महिला/पुरूष समूहों से
   3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से
   4. ग्राम प्रधानों से
   5. विभिन्न समूहों के नेतृत्व से
   6. एन0जी0ओ0 से
   7. क्षेत्र पंचायत से
   8. जिला पंचायत से
   9. जिला स्तरीय अधिकारियों से (प्रशासनिक)
   10. जिला स्तरीय विभागीय संघों एवं अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया।
2. ग्राम स्तरीय/बस्ती से सम्बन्धित सूचनायें विभिन्न स्तरों से संकलित की गयी। घर–घर सर्वे कराना प्रस्तावित है।
3. ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत से प्रस्ताव लेकर जिला स्तर पर जाँच एवं जिला योजना तैयार की।
4. बस्ती विशेष की योजना पर विचार विमर्श ग्राम सभा में, फिर ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव बनाकर ब्लाक समिति के माध्यम से जिला समिति।
5. अनुदेशक/स्थल चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ही होगा।
6. समुदाय से एग्रीमेंट लिया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था

प्रत्येक ब्लाक स्तरीय विद्यालय एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था होगी जो सूचना तत्र को विकसित करने के लिए होगा:–

1. (एम0आई0एस0) तथा शिक्षा में सुधार के लिए सी0डी0 तैयार करने के लिए व्यवस्था होगी।
2. कम्प्यूटर के प्रयोग से अध्यापकों की संख्या में भी कमी आ सकती है।
3. भाषा के शिक्षण में भी प्रयोग किया जा सकता है।
4. शिक्षण कार्य में अध्यापक की मदद करेगा।
5. छात्र की दक्षता में वृद्धि होगी।
6. एन0ई0एफ0 में
7. समुदाय की शिक्षा के लिए भी प्रयुक्त होगा।
8. बच्चों में स्वयं सीखने की प्रवृति जागृत होगी।

प्रबन्धन एवं कीमत

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय में इसकी व्यवस्था की जायेगी। प्रथम चरण में जिला एवं डायट लिये जायेंगें जहाँ पर भवन एवं स्थान की पूर्ण व्यवस्था होगी। दूसरे चरण में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के भवन बन जाने पर तथा बिजली की व्यवस्था हो जाने पर व्यवस्था की जायेगी। प्रथम चरण में साफ्टवेयर सी0डी0 के साथ उपलब्ध करायी जायेगी बाद में इन्टरनेट से भी जोड़ने की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यापको/छात्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण:–इसका प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दिया जायेगा जिसमें 2 अध्यापक एवं 5 छात्र (कक्षा 4–8 के) 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सम्मिलित होगें (30 के बैच में) जिसके लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करने के लिए प्राइवेट कम्पनी से सहयोग लिया जायेगा। रिफ्रेशर कोर्स 2–3 घण्टे का दिया जायेगा।

हार्डवेयर कम्प्यूटर

1. (बिना इन्टरनेट कनेक्शन के)

	Intel Celeron 500 mhz.		
	64 MB RAM 10 GB Hard Disk.		
	1.44 MB FDD 15 Colour Monitor.		
	Key Board Joy Stick Mouse		
	52 x CD Drive Sound Card		
	Ampligied Speackers	-	32,500.00
	UPS (with Battery) Four Hour Backup	-	16,000.00
	MODEM 56-6 KOPS (internal)	-	1,450.00
	REMOTE AREA Maintainance (Annual)	-	2,500.00
2.	Brick housing with doors, windows & racks	-	10,000.00
3.	SolarOLAR Pannel (at least 3 pannel are required)	-	20,000.00
	including installation.		
4.	SOFTWARE	-	15,000.00
	TOTAL COST PER UNIT	-	**1,00,000.00**

including miscellaneous management cost's.

राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय को निःशुल्क

1.टेलीफोन

2.इन्टरनेट कनेक्शन

3.रिकरिंग फास्ट टेलीफोन, प्रदान करेगी।

DIET

1.	CP III256 MB RAM 10 GB HDD FDD CDD	-	1,00,000.00	- 1
2.	Computer Modes P III 64 MB RAM 10 GB HDD FDD	-	40,000.00	- 1
3.	UPS 1 KVA Online	-	36,000.00	- 1
4.	Diesel Generator 5 KVA	-	22,000.00	- 1
5.	Projector	-	3,000.00	
6.	SOFTWARE	-	50,000.00	
7.	Furniture	-	1,25,000.00	
			7,500.00	
			7,42,000.00	

ई0जी0ए0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजन कराया जायगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनो के कार्यक्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001-2002 दिनांक 15 जून 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संदर्भित कार्यालय की प्रति परिशिष्ट में दी गयी है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/539/2001-2002 दिनांक 07 जून 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गयी है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ए0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के धिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजूकेशन गारण्टी स्कीम एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनो/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गयी है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

अध्याय - 8

उन्नयन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुनर्निर्माण, नवीन भवन आदि के निर्माण मे परियोजना की उपलब्धियाँ :–

प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाये संचालित की गयी परन्तु कानपुर नगर उनमें से किसी योजना के अन्तर्गत नही रहा। अतः उपयुर्क्त सम्पूर्ण कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्ण कराये जायेगें।

1. अतिरिक्त कक्षाकक्ष :

जनपद मे छात्रो की संख्या मे वृद्धि के फलस्वरूप छात्र–अध्यापक 40:1 अनुपात पर कुल परिषदीय नामांकन के सापेक्ष वांछित शिक्षक 4221, स्वीकृत शिक्षक 3027, अतिरिक्त वांछित शिक्षक 4941 इसमें नवीन प्राथमिक विद्यालयों को छोड़कर शेष 1038 शिक्षकों के लिए इतने ही अर्थात 1088 अतिरिक्त कक्षा–कक्षो का निर्माण कराया जायेगा।

सारणी 2.9

प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0	कुल परि0 नामांकन	40:1 के मानक में कुल वांछित अध्यापक	स्वीकृत शिक्षक	अति0 वांछित शिक्षक	नवीन विद्यालयों को छोड़कर	अति0 वांछित शिक्षक	अतिरिक्त कक्षाकक्ष
1.	168852	4221	3027	1194	1194–106 =1088	1088	1088

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालयो म 633 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है।

2. अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था :– छात्र नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप 2000–2010 तक कुल 1650 प्राथमिक विद्यालय–अध्यापक एवं 1645 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी जैसा कि सारणी 1 में दर्शाया गया है।

3. शौचालयों की व्यवस्था करना :–

क– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अवशेष 728 शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी।

ख– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे अवशेष 128 शौचालयो की व्यवस्था की जायेगी।

PRASHANT

4. **भवन पुनर्निमाण कराना** – जनपद में जर्जर भवनों वाले विद्यालय भवनों का पुननिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जो इस प्रकार है।

क– प्राथमिक विद्यालय – 64

ख– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 02

5. **पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना :–सर्व शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों में निम्नवत् पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी :–

क– प्राथमिक विद्यालय – 79

ख– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 12

6. **चहारदीवारी निर्माण बालिका विद्यालयद्ध** :– अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी रहित विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण भी प्रस्तावित है। विवरण निम्नवत है।

1– प्राथमिक विद्यालय – 943

2– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 195

जिसमें केवल 450 विद्यालयों हेतु प्रस्तावित है।

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

7. विद्यालय मरम्मत :– जनपद में 133 प्राथमिक विद्यालय तथा 24 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 107 प्राथमिक विद्यालय तथा 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत हेतु रु 70000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

8. **विद्यालय विकास हेतु अनुदान** :– विद्यालय को आकर्षक विकासोन्मुख संख्या के रूप में विकसित करने के लिये प्रति –

1– प्राथमिक विद्यालय – 2000 रू0

2– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 4000 रू0 व्यवस्था की गयी है।

विद्यालय अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगें।

1– स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण।

2– स्कूल भवन की आवश्यक/विशेष मरम्मत एवं रखरखाव

3– स्कूल उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री/उपकरण : अलमारी, मेच, कुर्सी आदि का क्रय।

4– स्कूल भवनों : दीवारों पर स्थानीय तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कक्षाओं : कलाकृतियां, प्राकृतिक चित्रों आदि को चित्रांकित किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता

सारणी – 8.1

नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं ड्राप आउट तथा नामांकन के कारण अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	कुल परिषदीय नामांकन	ड्राप आउट	प्रभावी नामांकन	1:40 अनुपात पर वांछित अध्यापक	सृजित पद	अतिरिक्त अध्यापक	शिक्षक	शिक्षा मित्र
2001–02	168852	27	123261	3081	3027	54	27	27
2002–03	179092	22	139691	3492	3027	411	205	205
2003–04	189670	17	157426	3935	3492	443	222	221
2004–05	192846	12	169704	4243	3935	308	154	154
2005–06	213458	07	198515	4963	4243	720	360	360
2006–07	216274	00	216274	5406	4963	443	222	221
2007–08	227082	00	227082	5677	5406	271	136	135
2008–09	237364	00	237364	5934	5677	257	129	128
2009–10	243698	00	243698	6092	5934	158	79	79

8.4 अध्यापक अनुदान :– सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500 रू0 प्रत्येक अध्यापक की दर से एक मुश्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे अध्यापक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण छात्रों के सहयोग से करेंगे उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्री निम्नलिखित है।

नोडिंग हार्स	–	लीवर सिस्टम समझाने के लिये
पंतग	–	एलास्टिसिटी समझाने के लिये
कागज की सीटी	–	ध्वनि कंपन
मास्क (मुखौटे)	–	कहानी कविता भाषा ज्ञान
सांप सीढ़ी	–	अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण हेतु।

8.5 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :– वर्ष 1999–2000 तक कानपुर नगर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अभिवाहक स्वयं बच्चों के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकें क्रय करते थें। वर्ष 2000–2001 में सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था की गयी। जिससे कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित I.lh., I.Vh. एवं समस्त बालिकाओं को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिष्द द्वारा नवविकसित पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गयी

PRASHANT

2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु अनुमानित संख्या सारिणी द्वारा प्रर्दशित है।

कक्षा 1 से 5 वय वर्ग के लिये वर्ष 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण हेतु बच्चों की संख्या सारिणी

क्रम	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की (अनु. जाति. सहित)	कुल योग
1.	2001	42697	239259	281956
2.	2002	43636	253138	296774
3.	2003	44595	258201	302796
4.	2004	45576	263364	308940
5.	2005	46577	268632	315209
6.	2006	47603	274004	321607
7.	2007	48650	279483	327086
8.	2008	49718	285073	334791
9.	2009	50812	290774	341586
10.	2010	51929	296590	348519

प्रति वर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिये भी जायगी। जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना भी प्रस्तावित है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

कक्षा 6 से 8 के लिये वर्ष 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण हेतु बच्चों की संख्या सारिणी

क्रम	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की (अनु. जाति. सहित)	कुल योग
1.	2001	23027	119106	142133
2.	2002	24754	128634	153388
3.	2003	26486	138925	165411
4.	2004	28340	150039	178379
5.	2005	28738	162042	190780
6.	2006	29137	162510	191647
7.	2007	29719	165760	195479
8.	2008	30313	169075	199388
9.	2009	30919	172456	203375
10.	2010	31537	175905	207442

प्रति वर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिये की जायगी। जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना भी प्रस्तावित है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे के विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।
    - माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
    - माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
    - माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेंगे।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन**

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा

PRASHANT

है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों, उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये गये जनपद कानपुर नगर में बालिकाओं की शिक्षा वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत हैं जिसे सारणी द्वारा दर्शाया गया है।

जनपद की विकास खण्डवार एवं नगर क्षेत्रवार साक्षरता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत है

क्रम	विकास क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1.	कल्यानपुर	49.87	27.50	39.72
2.	विधनू	48.87	27.53	38.20
3.	सरसौल	51.63	27.84	40.71
4.	चौबेपुर	52.89	30.88	42 80
5.	शिवराजपुर	52.26	31.55	42.76
6.	बिल्हौर	48.84	30.22	40.24
7.	ककवन	49.50	25.10	38.30
8.	भीतरगांव	52.37	29.57	41.76
9.	पतारा	49.25	26.60	38.85
10.	घाटमपुर	49.22	26.15	39.59
11.	नगर क्षेत्र	68.76	53.40	

स्रोतः– जनपदीय सांख्यकीय पत्रिका 1998

जिन विकास खण्डों में महिला साक्षरता दर कम है। जैसे ककवन तथा पतारा में बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

सारणी

विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्रवार कोहर्ट ड्राप आउट वर्ष 1999–2000

क्रम	विकास क्षेत्र/	कोहर्ट ड्राप आउट रेट		
	नगर क्षेत्र	कुल	बालक	बालिका
1.	कल्यानपुर	2[illegible]58	15.33	12.25
2.	बिधनू	27.50	16.15	11.35
3.	सरसौल	29.47	17.27	12.20
4.	चौबेपुर	25.43	13.25	12.18
5.	शिवराजपुर	14.73	08.48	06.25
6.	बिल्हौर	20.07	16.05	11.02
7.	ककवन	25.56	15.51	10.35
8.	भीतरगांव	23.50	12.20	11.30
9.	पतारा	22.99	12.14	10.15
10.	घाटमपुर	29.56	16.66	13.20
11.	नगर क्षेत्र	28.67	13.49	15.18

इस विवरण के यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है किसी भी राष्ट्र का विका वहा की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है यह कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत बालकों करा नामांकन शत–प्रतिशत करने के साथ ही साथ सभी वर्ग की शत–प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनो से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्याये उभर कर आयी है। जिनके समाधान के लिये बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए शत–प्रतिशत नामांकन/ठहराव का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत :–

1. सामुदायिक गतिशीलता को बढावा देना !
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
3. महिला शिक्षिकाओं का चयन (आचार्य के रूप में)
4. विशेष समूहो हेतु योजना (एवं अल्पसंख्यक)
5. अध्यापक प्रशिक्षण
6. निःशुल्क पुस्तक वितरण
7. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
8. कार्यानुभव आधारित केन्द्रो का चयन
9. एन0जी0ओ0 से सहायता
10. विशेषज्ञो द्वारा शिक्षा
11. अनुसंधान

HASHANT

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम तीन महिला सदस्यो का होने का प्रावधान है उनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्य एवं अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित अभिभावक माँ हो ।

प्रशिक्षण मे लिए संसाधन समूहों का गठन किया जायेगा जिसमे स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों आधारभूत कार्यकर्ताओं, संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा।

विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाओं की भागीदारी में सुधार का एक आदर्श संकुल विकास अधिगम स्थापित कर इनके द्वारा बालिका शिक्षा को बढावा देने का प्रयास किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण मे औपचारिक विधालय में प्राथमिक शिक्षा मे नामांकन / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के द्वारा बालिका शिक्षा को बढावा दिया जायेगा द्वितीय चरण मे बालिकाओं की उपस्थिति एव ठहराव को केन्द्रित करना है। संकुलों के चुनाव का मापदण्ड :–

1 महिलाओं की शिक्षा दर कम

2 बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव

3 अनुसूचित / अन्य पिछडे वर्ग / अल्पसख्यक जन समुदाय की अधिकता

4 10–12 गावो का संकुल।

संकुलों के माध्यम से नामांकन अभियान चलाया जायेगा

जिसके अन्तर्गत निम्न योजनाएं चलायी जायेगी :–

1 पदयात्रा / प्रभातफेरी

2 नुक्कड नाटक

3 बैठकें

4 घर–घर जाकर प्रोत्साहित करना

5 मीना अभियान

6 माँ–बेटी मेला

7 महिला सासद

8 सक्रिय महिला समूहो अथवा प्रेरित व्यक्ति को सम्मिलित करना।

PRASHANT

नामांकन के पश्चात् ठहराव हेतु निम्न कदम उठाय जायेंगे।

1. अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी की बढ़ावा दिया जायेगा
2. समय को लचीला बनाया जायेगा ताकि अधिक संख्या में बालिकाओ का नामांकन किया जा सके।
3. नये शिशु केन्द्र खोलना।
4. उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन
5. संकुल पर विचार विमर्श।
6. विद्यालयों में विशेष आयोजन।
7. ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास कार्यक्रम चलाना।

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना एवं सुदृढीकरण :-

प्रारम्भिक बाल देखरेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिक बाल शिक्षा से दोहरे लाभ है प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना दूसरा यह विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के छोटे भाई बहनों की देखरेख से मुक्तकर विद्यालय में रहने का अवसर प्रदान करता है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सैवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय से समन्वय स्थापित करना।

अन्य शिविर :-

1. ग्रीष्मकालीन शिविर :-

चिन्हांकित शाला त्यागी बस्तियों में बालिकाओं के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे। जो संख्या के आधार पर B.R.C., C.R.C., N.P.R.C. स्तर पर होंगें। साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दिया जाएगा।

- आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके।
- किशोरन्वय तनाव से बचने उपाय एवं उनका समायोजन।
- व्यक्तित्व विकास।
- नेतृत्व क्षमता विकास।
- वाणी सम्बोधन क्षमता विकास।

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन की होगी प्रशिक्षक को बुलाया जायगा एवं उन्हें सम्मान स्वरूप प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्य :–

शालात्यागी बालिकाओं की जो उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों के देखभाल हेतु प्रयोग करते है एवं ऐसी बालिकाओं के लिए जनपद में कार्यानुभव आधारित विद्यालयों का चयन किया जाएगा। जिसमें ब्लाक स्तरीय विद्यालय होगे कम्प्यूटर शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करते हुए आधुनिक संचार व्यवस्था के उपयोग प्रोत्साहन एवं रूचि सवर्धन हेतु जिला योजना में प्रथम चरण मे प्रत्येक ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है आने वाले वर्षो मे इनकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में एक होगी।

कुछ विकास खण्डों में बालिकाओं के लिए सिलाई :– कढ़ाई बुनाई एवं ब्यूटी पार्लर आदि की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी कम्प्यूटर एवं अन्य प्रशिक्षको को मान देय दिया जायेगा ।

*बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण :–*प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

सागर कैम्प का आयोजनः– प्रति कैम्प (10 हजार)

वर्ष	*केन्द्र संख्या*
2001–02	–2
2002–03	–2
2003–04	–1
2004–05	–1
2005–06	–0

बच्चो मे शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं शालात्यागी बच्चो को अगले सत्र मे प्रवेश देने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 10–15 गांवों का एक आदर्श संकुल गठित किया जायेगा जिसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाया जायेगा।

वर्ष	*केन्द्र संख्या*
2001–02	–2
2002–03	–2
2003–04	–1
2004–05	–1

SUPW (कार्यानुभव) कार्यक्रम

(SOCIAL USEFUL PRODUCTIVE WORK FOR GIRLS)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना लागू की जायेगी।

वर्ष	*केन्द्र संख्या*
2001–02	–10
2002–03	–10
2003–04	–07
2004–05	–04
2005–06	–04
2006–07	–04
2007–08	–02
2008–09	–01

EARLY CHILD CARE EDUCATION

जिला स्तर पर एक सेंटर प्रस्तावित है।

मां अध्यापक संघ एवं अभिभावक – अध्यापक संघ की स्थापना :–

इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों के अभिभावकों/मां के बीच उनकी समस्याओ के प्रति सामंजस्य स्थापित करने एवं निवारण तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक/मां अध्यापक की बैठक प्रस्तावित है।

कला जत्था :–

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने हेतु पंचायत स्तर पर कला जत्था भेज कर शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

जागरूकता सामग्री का निर्माण :–

प्रत्येक बालक के लिये 5000 रू0 की सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

बालमेला का आयोजन :–

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बालमेला का आयोजन प्रस्तावित है।

आडियोटेप का निर्माण :–

जिला स्तर पर आडियोटेप का निर्माण कराकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु उनका प्रयोग किया जायेगा।

दक्षता संवर्धन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कार देने का प्रावधान :–

दक्षता संवर्धन हेतु दो सबसे अच्छी ग्राम शिक्षा समितियो को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

दक्षता संवर्धन हेतु सबसे अच्छे शिक्षा मित्र को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान :–

दक्षता संवर्धन हेतु सबसे अच्छे शिक्षा मित्र को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

रिमेडियल क्लास चलाना :–

अनुसूचित जाति के ऐसे बच्चे जो कक्षा में सभी बच्चों के साथ नही चल पाते है उन्हे अलग–अलग कक्षाये चलाकर सभी बच्चो के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाने हेतु – 300 अनुसूचित जाति के बच्चो की व्यवस्था की जायेगी।

कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था :–

उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे ब्लाक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्कूल पुस्तकालय की स्थापना :–

सभी स्कूलो मे पुस्तकालय की स्थापना प्रस्तावित है।

PRASHANT

समेकित शिक्षा - विशेष वर्ग की शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालय में नही लाया जाता है। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जायेगी। जनपद कानपुर मे इस प्रकार के जो विकलांग बच्चे अभी तक चिन्हित किये गये अथवा किये जायेगे उनके लिए समेकित तथा सम्मिलित शिक्षा की योजना तैयार की जायेगी जिसमे सर्वप्रथम मेडिकल बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकलाग बच्चों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किये जायेगें इनमें निम्न मार्गदर्शिका को ध्यान मे रखा जायेगा। नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य होना शेष है।

समस्यायें :–

बच्चो मे कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चों की अधिगम अक्षमता के कई कारण होते है। बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्दगति देखने मे कठिनाई सुनने एव बोलने मे कठिनाई हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगो की विकृति मासपेशियों के तालमेल न होने से क्रियाकलाप के कठिनाई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओ जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्याए।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है। जैसे माता–पिता के स्नेह मे कमी बच्चों को हीन भावना से देखना। सीखने के समान अवसर न मिलना। शिशु स्तर पर लालन–पालन का अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक एवं बच्चों को विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना। विकलांगता के कारण बच्चों मे आत्मनिर्भरता की कमी, चलने मे परेशानी, समाज मे उपेक्षित रहने का भय बना रहता है।

विश्लेषण :–

विश्लेषण से यह तत्व उभर कर सामने आये है जैसे अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जब कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढाने के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नही होती है। केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता केवल उन बच्चो के लिए होती है जिनका रोग असाध्य एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

PRASHANT

आवश्यश्कतायें / कार्य योजना :–

संवेदी करण हेतु सबसे पहला बिन्दु परिवर्तन का है इस हेतु समुदाय : परिवार एवं शिक्षको के दृष्टिकोण मे परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण :–

1. समुदाय का सवेदीकरण – इसके अन्तर्गत जनसमुदाय की भ्रन्तियो को दूर किया जायेगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाया जायेगा। इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2. सामूहिक जनसभा करके परिवार एवं भाई –बहनो का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। विकलागता अभिशाप नही है। हमें ऐसे बच्चों को दया नही सहयोग देना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके।

3 अध्यापको का सवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हे इस तथ्य के अवगत कराया जाना है कि ऐसे बच्चो के विकास मे आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :–

1 ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर चिकित्सा अधिकारियो को मुख्य संकल्पनाओं के बारे मे अवगत कराया जायेगा। अन्तर क्षेत्रीय सहयोग के लिये प्रयास किया जायेगा। बैठक मे जाच दल का चुनाव किया जायेगा।

2 चिकित्सा दल चुने हुए अध्यापक – अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रो की जाच कर विचार–विमर्श कर अन्तर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जायेगा।

3 तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य पर बल दिया जायेगा।

4 विशेषज्ञो को बुलाया जायेगा।

5 विशेषज्ञो को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी।

विकलांगता के प्रकार :–

1 दृष्टि विकलांगता

2 श्रव्य विकलागता

3 अस्थि विकलांगता

4 मन्दबुद्धि विकलांगता

उपकरण तथा उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डॉक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट एक ई0 एन0 टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो द्वारा मेडिकल एसेसमेंन्ट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ली जायेगी इसके लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा।

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. एलिम्को जी0 टी0 रोड, कानपुर–208 016
3. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिर्सच सेन्टर कर्करडूमा विकासमार्ग, दिल्ली।
4. मंगलम ए–445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण –

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल सेन्टर द्वारा दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा जैसे:–

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों को समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा – कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

विकलांग बच्चों की सहायता :–

सभी वर्गों के विकलांग बच्चों की शिक्षा सुलभ बनाने हेतु प्रति बच्चे 120 रू0 सहायत प्रति वर्ष 1000 बच्चों को प्रस्तावित है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की जायेगी। हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों को अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का हैं किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ समिति गतिविधियों तक हो रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन का दायित्व दिया जायेगा। साथ ही ग्राम की शिक्षा की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सकें। यह नवीन चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है क्यों कि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। प्रत्येक विकास खण्ड में से उत्कृष्ट कार्य के लिये दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25000 रू0 का पुरस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिये ही नहीं अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा– व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनों विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :–

अभिनावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

<u>ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :–</u>

प्रशिक्षण के उद्देश्य :–

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णता अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।
2. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिये वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरूक बनाना।
3. विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षिता विकसित करना।
4. आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण ; रूचिपूर्ण माहौल,; विद्यालय संचालन के ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिये अभिप्रेरित/सुग्रहित करना।
5. अर्न्तक्षेत्रीय समन्वयन : सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिये अभिप्रेरित/सुग्रहीत करना।

5. अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन : सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिये अभिप्रेरित/सुग्रहीत करना।

निम्नलिखित उत्तरदायित्व वहन करना :–

1. ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करना।
2. आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन : स्थल चयन आदि कार्यवाही।
3. नये विद्यालय का निर्माण 3 माह के सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।
4. विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव
5. वित्तीय संसाधन जुटाना।
6. स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री : आपरेशन ब्लैक– बोर्ड की सामग्री एवं साइंस किट का समुचित प्रयोग करवाना।
7. प्राथमिक विद्यालय के समस्त बच्चों का नामांकन करवाना जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान' चलवाना।
8. स्कूल मे बच्चो का धारण मे स्थायित्व बालिकाओं और अपवंचित वर्ग के बच्चो पर विशेष ध्यान देना।
9. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा मे लाना।
10. स्कूल के बाहर के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं बाल मजदूरो की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के माध्यम से कराना।
11. शिक्षक मातृ संघ एवं अभिभावक शिक्षक संघों का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना।
12. वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना। समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्यकतानुसार सहायता दान/श्रम के रूप में प्राप्त करना।
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करवाना।
14. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो पर बच्चो का नामांकन, संचालन मे सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।
15. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों को हेल्थ चेकअप करवाना, तथा बच्चो को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।
16. युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्तर की सफाई, निर्माण आदि मे श्रमदान करके सहयोग दे सकें।

17. कक्षा में इमला लिखवाना; जोर से पढ़वाना; गृहकार्य एवं जाचं कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना।

18. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो को विभिन्न कार्यों का वितरण करना।

19. शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहे इसके लिये माहौल बनाने की आवश्यकता है।

अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों – मिट्टी के बर्तन; खिलौन बनाने, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी के कुशल कारीगरों; अच्छे कहानी वाचक; गायक; वादक; कहानीकारों को समय–समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिये बुलाया जाय। इससे बच्चों के दृष्टिकोण मे कार्य की महत्ता पहचानने मे बढ़ावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की सन्दर्भ व्यक्ति के रूप मे सूची बना ली जायेगी।

20. प्राथमिक विद्यालय में 10–10 पुस्तकें प्रति कक्षा रख कर बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा के लिये वातावरण निर्माण :–

1 जनसहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों; विद्यालयो द्वारा प्रभातफेरियो, मशाल जुलूसो आदि का आयोजन किया जायेगा।

2 समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले; बाल मेले; प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेंगे।

3 प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड नाटक दल एव प्रेरक समूह तैयार किये जायेंगे।

4 गाव के स्थानी कलाकारो द्वारा नाटक; गीत आदि तैयार करवाकर प्रस्तुति करण किया जायेगा।

5 पोस्टर :– गीत नारों कहानियों, चलचित्रो आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।

6 बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्धित अन्धविश्वासों, पूर्वाग्रहो आदि को दूर किया जायेगा।

7 बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है – अभिभावकों मे यह भावना जागृत करायी जायेगी।

8. सहभागी क्रियाओ, अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुति करण करना कि बेटी भी कर सकती है। आप के सपने पूरे; आपके परिवार का नाम रोशन।

9. विद्यालय भ्रमण; विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय मे भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हे शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

10. क्षेत्र में लगने वाले हाट; मालमेलो प्रदर्शनियो मे शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर ऑडियो/वीडियो; कैसेट का प्रसारण प्रदर्शन किया जायेगा।

11. अर्न्तकक्षीय/अर्न्तविद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेगी।

12. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित कार्यक्रम चलाया जायेगा।

13. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियो में भाग लेना। बालिकाओ के नामांकन के लिये विशेष अभियान मीना फिल्म; प्रदर्शन एवं चर्चा। सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता विद्यालय मे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। खेलकूद प्रतियोगिताओ का आयोजन एव पुरस्कार देना। अभिभावक – शिक्षक बैठकों का आयोजन कराये जायेगे।

14. अर्न्तराष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन/त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमो/प्रतियोगिताओं द्वारा गावों के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार समाचार पत्र; नारे लेखन; महत्वपूर्ण स्थानों पर नारे; सूक्तियां विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।

15. नारे व सूक्तियो का निर्माण : आकर्षक स्कूल भवन; रख–रखाव, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण; न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं– लेखन; सुस्वर पाठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।

16. छात्रो में गणवेश; व्यक्तिगत सफाई नाखून काटना स्वच्छ दॉत प्रतिदिन स्नान करना, बालो की स्वच्छता एव विन्यास; जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु आयोजित करायी जायेगी।

अन्य विभागों से भी अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग :

ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चो को टीके लगवाना। गांवो मे स्वास्थ्य ... खुलवायें जहां दवाइयां, ओ0आर0एस0 के पैकेट, टीके एव प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था कराना।

महिला" एवं बाल विकास विभाग :–

यदि आगनबाडी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से संपर्क कर खुलवायेंगे। आंगनवाडी कार्यकर्त्री की सहायता से बच्चो को नियमित वनज करवाना ताकि बच्चो को कुपोषण न हो सके। सभी बच्चो को नियमित एवं समय पर टीके लगवायेगे। गर्भवती महिलाओ को 100 आयरन फॉलिक एसिड गोलियां दी जायेगी।

विकलांग कल्याण विभाग :–

विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण पत्र बनवाये जायेगें और जिला विकलांग कल्याण विभाग स उपकरण की व्यवस्था कराई जायेगी।

PRASHANT

श्रम विभाग :–

श्रम विभाग के सहयोग से 8–14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान कराई जायेगी। इन बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था कराई जायेगी।

जल विभाग :–

खराब हैण्डपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैण्डपम्प की व्यवस्था कराई जायेगी।

वन विभाग :–

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग :–

बच्चों की छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था कराई जायेगी।

आपूर्ति विभाग :

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जायेगी।

महिला सशक्तिकरण :

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सहयोग लिया जायेगा।

PRASHANT

अध्याय - 9
गुणवत्ता विकास के लिए नियोजन

जनपद कानपुर नगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1992 में की गयी थी। संस्थान के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण का दायित्व निर्वाह किया जाता है। कानपुर नगर में 1444 प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय तथा राजकीय) तथा 292 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा जनपद के विकास खण्डों में 297 आँगनवाड़ी केन्द्र चल रहे है इसके अतिरिक्त जनपद में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के स्कूल चल रहे है। इन केन्दों के चलने से स्कूलों में बच्चों के नामांकन में प्रगति हुई है। बालिकाओं की प्रवेश दर बढ़ी है। स्कूल में बच्चों के ठहराव में प्रगति हुई है, परिषदीय विद्यालयों के साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का सामंजस्य स्थापित हुआ है। विद्यालयों में बच्चों को भेजने में अभिभावकों की रूचि बढ़ी है। स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व को देखते हुए ऐसे केन्द्र संचालित करने की आवश्यकता है।

बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग :-

स्कूल तथा समुदाय के बीच सहभागिता को बढ़ाने के लिए जनपद में 556 ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी हैं। किन्तु समुदाय से स्कूल को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति पर विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों के पर्यवेक्षण का भी दायित्व है।

यधपि विगत कुछ वर्षो से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय की सहभागिता बढ़ रही है। साथ ही यह बात और प्रबल सिद्ध होरही है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा में समाज की सक्रियता एवं सहभागिता के बिना शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति दुष्कर है। इस प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की सक्रिय सहभागिता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

बच्चों की शिक्षा में परिवार का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसी अपेक्षा की जाती है। इसका मुख्य कारण अभिभावकों का अशिक्षित होना है। जिनके कारण वह अपने बच्चों को घर पर शैक्षिक सहयोग नहीं दे पाते है और न वे विद्यालय द्वारा दिये गये बच्चे के कार्यो को देख पाते है। प्राथमिक

एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों से वार्ता करने पर यह पता चला कि अभिभावकों द्वारा बच्चों की शिक्षा में घर पर अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता और न वे अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति से अवगत हो पाते है। इससे यह तथ्य उभर कर सामने आया कि बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए माध्यमिक विद्यालयों की तरह प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षक अभिभावक संघों का गठन आवश्यक है जिससे कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों से अवगत हो सकें। साथ ही शिक्षक अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं उसको उपेक्षित शैक्षिक सहयोग पर चर्चा कर सकें।

शिक्षकों के बारे में स्थिति और मुद्दे :-

शिक्षकों के विषय-ज्ञान, शिक्षण कौशल और शिक्षण विधियों पर शिक्षक की मनोवृत्ति, रूचि प्रतिबद्धता एवं उत्प्रेरण बढ़ाने हेतु इस जनपद में अनेकानेक शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें प्रशिक्षण दिये गये किन्तु शिक्षकों में अपेक्षित सम्प्राप्ति नहीं हो पायी। कानपुर नगर में एस0ओ0पी0टी0 का प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कराया गया किन्तु समस्त जनपद आच्छादित नहीं हो सका।

एस0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयाँ अनुभव की गयी वे इस प्रकार है :-

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुयी न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिला स्तर के हों, के लिये एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका बल्कि सीमित संख्या में ही शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरान्त फालो-अप खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

जनपद में शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिये जो प्रयास किये गये है ----

प्राथमिक स्तर :- प्राथमिक स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम 1993 से आयोजित किये गये थे। जिसका प्रमुख लक्ष्य निम्न था :

1- छात्रों के नामांकन को शत-प्रतिशत बढ़ाना।

2- छात्रों की विद्यालय में धारण-क्षमता में अभिवृद्धि करना।

3- दक्षताधारित शिक्षण के माध्यम से छात्रों में भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन की विभिन्न दक्षताओं और कौशलों को उजागर करना।

4- विद्यालयों में प्राप्त करायी गयी आपरेशन ब्लैक बोर्ड, योजना की सामग्री के महत्व एवं उसकी जानकारी तथा संचालन विधि एवं प्रयोग विधि स्पष्ट कर कक्षा में शिक्षण करते समय उसका समुचित तथा यथास्थान प्रयोग सुनिश्चित करना।

5- जनसंख्या वृद्धि के महत्व को स्पष्ट करना।

6- लैंगिक समानता के महत्व की जानकारी कराना।

7- पर्यावरण संरक्षण : महत्व की जानकारी देना।

उच्च प्राथमिक स्तर :-

अभी तक सेवारत प्रशिक्षण के अन्तर्गत उच्च प्रा0वि0 के अध्यापकों को मात्र पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण ही दिया जाता रहा है। उन्हें एस0ओ0पी0टी0 एवं अन्य प्रशिक्षणों से बहुधा वंचित रखा जाता है, किन्तु इस वर्ष एस0ओ0पी0टी0 के अन्तर्गत उच्च प्रा0वि0 के अध्यापकों को भी सम्मिलित किया गया एवं उनको दस दिवसीय गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान यह तथ्य उभरकर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आये कि इस तरह सभी विषयों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। शिक्षकों ने यह भी बताया कि इन प्रशिक्षणों की अवधि कम से कम 20-25 दिन होनी चाहिये।

प्राथमिक तथा उच्च प्रा0वि0 स्तर के शिक्षकों को जो भी प्रशिक्षण दिये गये है उनका कक्षा में सन्तोषजनक प्रभाव नहीं दिखायी देता। शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणों के बाद भी बतायी गयी विधियों का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के बाद की स्थिति :-

कक्षा में स्कूल में, प्रशिक्षणों के बाद कक्षा में सहायक सामग्री के रूप में विज्ञान तथा गणित किट का प्रयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बालक सही ढंग से समझ नहीं पा रहे है। विद्यालय में एक कमरे में दो-दो कक्षा बैठने के कारण असुविधा होती है। जिसके कारण पाठ्यक्रम निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण में दिये गये निर्देशों का पालन भलीभाँति नहीं हो पाता। विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण की कमी दिखाई देती है।

शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए शिक्षकों को अद्यतन ज्ञान, आधुनिक शिक्षण विधियों की जानकारी तथा शिक्षा की नवीन संकल्पनाओं और नवाचारों से भलीभाँति परिचित कराना आवश्यक है जिससे वे समाज व राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुसार उपयोगी मानव संसाधन विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष सेवारत प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जो भी प्रशिक्षण दिये गये वे सभी प्रकार की योग्यता वाले अध्यापकों के लिए एक ही प्रकार के थे। उन प्रशिक्षणों से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री भी एक सी थी जिसके कारण कम योग्यताधारी शिक्षकों को पैकेज समझने में कठिनाई हुई। प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित दोनों प्रकार के शिक्षक एक साथ आ जाते है। जिसके कारण प्रशिक्षण संचालन में कठिनाई होती है। प्रशिक्षणों के संचालन में भी प्रतिभागी अध्यापकों की रूचि अलग-अलग दिखाई देती है। शिक्षकों की धारण क्षमता व शैक्षिक योग्यता भी अलग-अलग रहती है जिससे कुछ अध्यापक जल्दी तथा कुछ देर में समझ पाते है। अनुश्रवण में पाया गया शिक्षक प्रशिक्षण के अनुसार बहुत कम शिक्षण कार्य करते है।

शिक्षकों के साथ वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि अभी भी प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि विशेष कर उच्च प्रा0 वि0 के शिक्षकों के लिये विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के कम योग्यताधारी तथा पुराने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण पैकेज बनाकर प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा विद्यालयों में जाकर अनुश्रवण कर आवश्यकतानुसार विद्यालय

में ही प्रशिक्षण एवं मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। विशेषकर नगर निगम के अध्यापकों एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक इस प्रशिक्षण से अभी तक वंचित है साथ ही जिन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त भी किया है वे बतायी गयी नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग अपने विद्यालयों में नहीं करते। सामूहिक चर्चा के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार योग्यता वाले अध्यापकों की कमी है। विशेषकर गणित एवं विज्ञान विषयों के अध्यापक आज के पाठ्यक्रम के अनुरूप अद्यतन नहीं है। अतः ऐसे अध्यापकों के लिये भी प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक योग्यता :

प्राथमिक विद्यालयों के लिये शिक्षकों की निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक है। जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव की स्थिति का आंकलन निम्न सारिणी से स्पष्ट है :-

सारिणी 1

क्रम सं0		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	3649	935
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	62	02
3.	केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण	506	42
4.	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	89	--
5.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	41	--
6.	क- विज्ञान शिक्षक	00	81
	ख- संस्कृत/उर्दू शिक्षक	334	111
7.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	20	--
8.	इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1451	468
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	982	264
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	498	159

स्रोत : बी० एस० ए०, कानपुर नगर

सारिणी – २

शिक्षण अनुभव :

क-	5 वर्ष से कम	807	81
ख-	5 से 10 वर्ष तक	796	81
ग-	10 से 15 वर्ष तक	355	72
घ-	15 से 20 वर्ष तक	462	124
ङ-	20 से 30 वर्ष तक	292	107
च-	25 से 30 वर्ष तक	374	227
छ-	30 वर्ष से अधिक	563	324

स्रोत: बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर

उपर्युक्त सारिणी में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञता एवं उनके अनुभव का अवलोकन से निम्न बिन्दु उभर कर आये है ।

1- जनपद में 151 प्राथमिक शिक्षक अप्रशिक्षित है।

2- उच्च प्राथमिक स्तर में विषय विशेष के शिक्षकों की कमी है।

3- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 612 शिक्षक ऐसे है, जो हाईस्कूल या उससे कम योग्यताधारी है।

उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों में गुणवत्ता विकास के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि अधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन:

जनपद में ऐसे प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या काफी है जहाँ प्रत्येक कक्षा के लिये एक शिक्षक उपलब्ध नही है। सारिणी-3 द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति दर्शायी गयी है --

प्राथमिक स्तर सारिणी - 3

एक शिक्षक विद्या0 सं.	दो शिक्षक विद्या0 सं.	तीन शिक्षक विद्या0 सं.	चार शिक्षक विद्या0 सं.	पाँच शिक्षक विद्या0 सं.	पाँच से अधिक शिक्षक विद्या0 सं.
391	486	283	129	96	57

उच्च प्राथमिक स्तर

58	50	45	80	37	22

स्रोत :- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर।

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि ज्यादातर प्रा0 एवं उच्च प्रा0 वि0 में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति आज भी विद्यमान है। उच्च प्रा0वि0 में विज्ञान और गणित शिक्षकों का पर्याप्त अभाव है। बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की समस्यायें जो शिक्षकों से वार्ता करने पर ज्ञात हुई है के निदान हेतु ऐसे शिक्षकों को जिन्हें बहुकक्षा शिक्षण करना पड़ता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ताकि उन्हें बहुकक्षा शिक्षण में कठिनाई न हो।

शिक्षण सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ प्रा0 तथा उच्च प्राथमिक वि0 का भ्रमण करके अध्यापकों से वार्ता की गयी। शिक्षण सामग्री का उपयोग प्रा0 तथा उच्च प्रा0 स्तर पर बहुत कम होता है उच्च प्रा0 स्तर में तो नहीं के बराबर है। विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का पर्याप्त अभाव है थोड़ी बहुत जो सामग्री है उसके रख-रखाव की स्थिति दयनीय है, सभी स्तर के अध्यापकों का यह मत था कि सहायक सामग्री निर्माण, उपयोग विधियों तथा रख-रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूरी है।

शिक्षकों की अकादमिक समस्यायें

प्राथमिक स्तर के शिक्षक :-शिक्षकों से समूह चर्चा (एफ0 जी0 डी0 के प्रमुख निष्कर्ष परिशिष्ट-1)के दौरान प्राथमिक स्तर के पुराने शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार विषय ज्ञान की बहुत सी कठिन विषय-वस्तु के बारे में हमें शिक्षण कार्य करने में कठिनाई होती है। पुराने तथा कम शैक्षिक योग्यताधारी अध्यापक विज्ञान तथा गणित की नवीन विधियों से शिक्षण कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्राथमिक स्तर के अध्यापक यह भी कहते है कि विद्यालय को समुदाय का सहयोग बहुत कम मिलता है। अधिकतर अभिभावक घर पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिये प्रेरित नहीं करते है जिससे बच्चे स्कूल के बाद घर पर शिक्षक द्वारा दिये कार्यों को पूरा नहीं करते। शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी शिक्षकों से कार्य लिया जाता है जिससे पाठ्यक्रम कार्य दिवसों में पूरा कराना कठिन हो जाता है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों ने यह भी बताया कि मानक के अनुरूप भवन का न होना, आदर्श शिक्षण कक्ष का अभाव, विद्यालयों में छात्र संख्या मानक के अनुसार शिक्षक न होना, सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव, समुदाय की सहभागिता की कमी, प्रभावी निरीक्षण का न होना तथा विद्यालय में शैक्षिक वातावरण सम्बन्धी क्रियाकलापों का अभाव शिक्षण कार्य में कठिनाई उत्पन्न करता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक :- उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कहते है कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर आते है वे पूरी तरह तैयार नहीं होते। अधिकतर बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर को भी पूर्ण करके नहीं आते। उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिये विज्ञान तथा गणित जैसे कठिन विषयों को पढ़ाते में कठिनाई होती है विशेषकर ऐसे अध्यापक जो जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण है इन्हें नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान तथा गणित के शिक्षण में कठिनाई होती है। इस श्रेणी के अध्यापक नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है, उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापक भी बताते है कि अभिभावक घर पर पढ़ने हेतु प्रेरित नहीं करते है। समुदाय का विद्यालय के प्रति वांछित सहयोग
नहीं प्राप्त होता है।

जनपद में शिक्षकों को कार्यस्थल पर ही सहयोग प्रदान करने और उनके कार्य का नियमित पर्यवेक्षण करने के लिये वर्तमान में विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर पर कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। ए0बी0एस0ए0 तथा एस0डी0आई0 मुख्यत: प्रशासनिक दायित्वों का ही निर्वाह कर पाते है। अत: विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर पर बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की आवश्यकता है।

शिक्षकों से समुदाय की अपेक्षा क्या है :- डायट द्वारा समुदाय के विभिन्न श्रेणी तथा जातियों के लोगों में वार्तालाप (परिशिष्ट-1 एफ0 जी0 डी0 के प्रमुख निष्कर्ष) करके यह भी जानने का प्रयास किया गया कि समुदाय के लोग शिक्षकों से क्या अपेक्षायें रखते है। समुदाय के लोगों ने जो बताया उससे कुछ बातें उभरकर आयी जिसमें मुख्य रूप से अध्यापकों का समय से विद्यालय आना, नियमित विद्यालय आना, विद्यालय अवधि में पूरे समय बच्चों को पढ़ाना, विद्यालयीय क्रिया कलापों में समुदाय के सभी वर्ग एवं जाति के लोगों की सहभागिता को महत्व दिया जाये।

शिक्षकों के अकादमिक सहयोग की व्यवस्था :-

जनपद में प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के सहयोग समर्थन हेतु, उनकी अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एकमात्र संस्था डायट ही है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि : (1) शिक्षकों को उनके कार्य-स्थल पर ही अकादमिक सहयोग प्रदान किये जाने की व्यवस्था स्थापित की जाये। (2) प्रशिक्षण के उपरांत नियमित फालोअप और अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु संरचना की व्यवस्था की जाये। इस दृष्टि से व्याय पंचायत स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 तथा विकास खंड स्तर पर बी0 आर0 सी0 स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।

बच्चों की स्थिति:- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया जो निम्न सारणी मे प्रदर्शित है :

सारिणी 6

बच्चों की	कक्षा 5 में बच्चों की उपलब्धि:									
	भाषा					गणित				
सं0 प्रति0में	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-20%	1.6					23.8				
20-40%			44.1						61.2	
40-60 %			40.2			9.8				
60-80 %	9.0					4.2				
80-100%										

स्रोत:- बेसलाइन अध्ययन रिपोर्ट एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

सारणी से स्पष्ट है कि 91% बच्चों का भाषा में सम्प्राप्ति का स्तर 60-80% से कम है इसी प्रकार 95.8% बच्चों का गणित में संप्राप्ति स्तर 60-80% से कम है। अत: स्पष्ट होता है कि 90% से अधिक बच्चों के भाषा एवं गणित में सम्प्राप्ति के स्तर को बढ़ाकर 80-100% की श्रेणी में लाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य वार्ता करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आये कि शिक्षक छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने विषय की ओर आकर्षित करने में उतने सफल नही हो पा रहे है जितने कि होने चाहिये। शिक्षक और छात्र के मध्य आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की कमी परिलक्षित होती है। कक्षा का वातावरण शिक्षकों द्वारा इतना प्रभावी नहीं बनाया जाता है कि बच्चों की अभिरूचि में अभिवृद्धि होती रहे। कक्षा के कुछ ही बच्चे अध्यापक द्वारा पढ़ाये गये विषय से लाभान्वित होते है जिसका मुख्य कारण पूर्व में प्रचलित शिक्षण विधियाँ है। अध्यापक के सामने यह भी समस्या है कि उसे पूरा पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। साथ ही शिक्षा को रूचिपूर्ण बनाने हेतु न ही वह शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और न ही शिक्षण सामग्री द्वारा पाठ को सरल व बोधगम्य ही बना पाता है। यह भी तथ्य उभर कर आया कि विद्यालयों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

का सामान उपलब्ध होने पर भी अध्यापक सामग्री टूट जाने के भय से उसका प्रयोग कक्षा में नहीं करते।

जनपद कानपुर एक औद्योगिक नगर होने के कारण बहुत से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है और यह बालक विद्यालय नहीं जाते इसी प्रकार मलिन बस्तियों में भी बहुत से बच्चे है। जिनकी शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने, शिक्षक, प्रशिक्षण आयोजित करने तथा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण एवं सतत् व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। .

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

लगभग 5-10% जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं पूरे परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये समुदाय, परिवार तथा अध्यापक तीनों का संवेदीकरण आवश्यक है।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद कानपुर नगर में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

जनपद में गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के बेहतर तथा प्रभावी संचालन के लिए ब्लाक स्तर पर 10 बी0 आर0 सी0 तथा न्याय पंचायत स्तर पर 91 एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों पर क्रमशः एक समन्वयक, एक सहसमन्वयक तथा एक समन्वयक का चयन कर पदस्थापना किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक डायट के अकादमिक नेतृत्व में कार्य करेंगे तथा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त रणनीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद–विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी. आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

पूर्व प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधि

यों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 46 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 47 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 48 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य **बी.**आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 49 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 50 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा

सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा

सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा, डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन

रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट क सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के : ये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 232 शिक्षामित्रों तथा 167 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 280 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 150 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान,

इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण** – जनपद में नवस्थापित संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों की क्षमता विकास किया जायेगा। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ मे 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस. ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी. ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु

आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** –
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 180 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 6

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	10	16
अन्य कार्य	30	30
शिक्षण दिवस	180	176

स्रोत – डायट, कानपुर नगर

सारणी – 7

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन / समय
भाषा–1 हिन्दी	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
भाषा–2 अंग्रेजी	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
भाषा–3 संस्कृत	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
विज्ञान	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
गणित	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
सामाजिक विषय	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
समाजपयोगी कार्य	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति
कला शिक्षण / व्यायाम	6 / 40 मि0 प्रति	6 / 40 मि0 प्रति

स्रोत – डायट, कानपुर नगर

उपर्युक्त सारिणी–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 180 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 176 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण सयम से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों

को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 2.97 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.18 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.66 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 1.53 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 61.35 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा

उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी –

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, बी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी..ई. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यकम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेनी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यकमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर. सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया जायेगा जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य होंगे। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट

इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर. सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा।

बी0ई0पी0 तथा डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत जनपदों में शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जनपद कानपुर नगर में लागू किया जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित

किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित होंगी। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जायेगा। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जायेगी। इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

इस प्रकार डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का प्रतिवर्ष विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा का आयोजन एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा का आयोजन बी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मैटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन

22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के ⁻ ⁻ाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी. आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।

- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' दिकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंमे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादनिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना दिकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादनिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

नवाचार कार्यक्रम :-

1. नगर क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते है संस्थान द्वारा अभियान चलाकर उनकी शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। इस दिशा में मलिन बस्तियों में भ्रमण कर सर्वे के आधार पर केन्द्र संचालित कर बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था बनायी जायेगी। उनके शैक्षिक स्तर में सुधार की प्रक्रिया लागू की जायेगी। इस कार्य हेतु स्वैक्षिक एवं स्वावलम्बी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण सुधार के लिये विज्ञान के अध्यापकों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। जिन विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक नहीं है ऐसे विद्यालयों में विद्यालय संकुल के माध्यम से विज्ञान विषय की शिक्षण व्यवस्था लागू की जायेगी। नवाचार शिक्षण के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षण के विषयों पर माड्यूल एवं पैकेज तैयार कर कक्षा में उनका प्रदर्शन कराया जायेगा। समय-समय पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी कराया जायेगा। जिससे छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टर कालेज का चयन कर तथा उनकी प्रयोगशालाओं को समृद्ध कर उस क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्रा0वि0 को जोड़कर सघन विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। प्रारम्भ में प्रत्येक विकास खंड में दो ऐसे केन्द्र विकसित किये जायेंगे और सफलता के आधार पर इस कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

3. कक्षा की शैक्षिक प्रक्रिया में समुदाय को जोड़ा जायेगा। छात्रों की प्रगति आख्या श्यामपट्ट पर अंकित की जायेगी। समय-समय पर समुदाय के लोगों को विद्यालयी मीटिंग में बुलाकर उनकी राय एवं सुधार प्रक्रिया भी जानी जायेगी। विद्यालय में कोई ग्रान्ट आती है तो उसको श्यामपट्ट पर अंकित कर समुदाय को अवगत कराया जायेगा। तथा उनका विद्यालय में अच्छे ढंग से कैसे प्रयोग किया जाये इस सम्बन्ध में उनकी राय माँगी जायेगी। बजट के प्रयोग में समुदाय को विश्वास में अवश्य लिया जायेगा। प्रथम वर्ष में विकास खंड कर दो ऐसी ग्राम शिक्षा समितियों का चयन कर वहां कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने का कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर चलाया जायेगा और सफलता के आधार पर इसका विस्तार करेंगे।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों, छात्रों एवं समुदाय के लोगों से जब बातचीत की गयी तो यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सभी विद्यालयों में मुख्य रूप से छात्रों की तीन श्रेणियाँ होती है ।

1- तीव्र बुद्धि वाले बालक।

2- सामान्य स्तर के बालक ।

3- मन्द बुद्धि के बालक।

इसमें धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिये उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। प्रायोगिक तौर पर प्रत्येक एन. पी. आर. सी. में एक विद्यालय में इसे संचालित किया जायेगा और पुन: इसका विस्तार किया जयेगा।

पठन-पाठन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार :-

वस्तुत: शिक्षा की गुणवत्ता पठन-पाठन की प्रक्रिया के स्वरूप पर निर्भर करती है, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बच्चों की गैर हाजिरी और बाद में विद्यालय छोड़ देना पठन-पाठन प्रक्रिया के स्वरूप से निर्धारित होता है। अत: पठन-पाठन की प्रक्रिया में सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल में निम्न बिन्दुओं का समावेश होगा -

- कक्षावार पाठ्यचर्या
- उन्नत पाठ्यचर्चा एवं पठन-पाठन सामग्री।
- बेहतर कक्षा सम्प्रेषण।
- गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री ।
- बालकेन्द्रित शिक्षण एवं कार्य आधारित सिखने की प्रक्रिया।
- बहु कक्षा एवं बहु श्रेणी शिक्षण।
- बच्चों के लिये रोचक एवं आकर्षक शिक्षण।

- शैक्षणिक विषयवस्तु और बच्चों के जीवन सन्दर्भों के बीच तालमेल।
- शिक्षक एवं बच्चों के मध्य परस्पर आसान सम्प्रेषण।
- बच्चों द्वारा अपने आप एवं हम उम्र के समूह के साथ नियमित पढ़ना लिखना।
- लैंगिक, जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक भेद-भाव रहित माहौल।
- शिक्षक क्षमता सम्वर्धन।
- शिक्षार्थी सम्प्राप्ति के स्तरों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।
- अधिगम के विभिन्न स्तर।
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड।
- शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा।
- नवाचार एवं नवीन शिक्षण विधियाँ।
- बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री निर्माण तथा उपयोग।

शिक्षण सामग्री मेले :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु जनपद स्तर, बी0आर0सी0 स्तर तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर जो भी शिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी, उसका प्रदर्शनी तथा मेलों के माध्यम से प्रचार तथा प्रसार किया जायेगा। शिक्षण सामग्री के प्रयोग विधि का प्रदर्शन भी किया जायेगा। शिक्षण सामग्री निम्नांकित विषयों पर तैयार की जायेगी ।

- विज्ञान शिक्षण।
- पाठ्यपुस्तक आधारित टी0एल0एम0।
- शिक्षकों के लिये अध्ययन सामग्री।

योजना तैयार करने की प्रक्रिया :-

सर्व शिक्षा अभियान की योजना में डायट का अपना अलग स्थान है। योजना निर्माण के लिये कार्य योजना की रूप रेखा बनायी गयी तथा तैयार करने हेतु एक रूप रेखा का निर्माण किया। इस रूप रेखा के अनुसार सर्व प्रथम् शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल-कूद विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, युवक मंगल दल, संहिता समाज, नेहरू युवा केन्द्र, बेसिक शिक्षा समिति, जन प्रतिनिधियों, शिक्षक संगठन, शिक्षकों आँगनवाड़ी केन्द्र, अभिभावकों के विभिन्न/विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति बाहुल्य एवं अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के समुदायों से तथा स्वयं सेवी संगठनों के सामूहिक तथा अलग-अलग विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आवश्यकतानुसार जानकारी की गयी। आवश्यकतानुसार अभिलेखों को भी देखा गया। शिक्षकों तथा बच्चों से भी विचार विमर्श किया गया। आवश्यकतानुसार

प्रश्नावली के माध्यम से जो विचार-विमर्श किया गया उपर्युक्त सभी लोगों से विचार-विमर्श करने पर जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन्हें योजना निर्माण में ध्यान रखा गया है तथा उसी के अनुरूप रणनीति निर्धारित की गयी है। विभिन्न समूहों से विचार-विमर्श में सुझाव तथा निष्कर्ष

निर्माण योजना हेतु एफ0जी0डी0 से प्राप्त प्रमुख सुझाव तथा निष्कर्ष :-

1- सभी लोगों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को भली-भाँति समझ कर सराहा गया।

2- बालिकाओं की शिक्षा के लिये विशेषकर उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

3- विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों में समुदाय के सभी वर्गों तथा जातियों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

4- प्रत्येक विद्यालय का अपना भवन हो। जो भवन पुराने तथा कमजोर है उनकी मरम्मत करायी जाये। प्रत्येक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल बनायी जाये। शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

5- प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था की जाये।

6- प्रत्येक विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।

7- बाल श्रमिकों के लिये जहाँ बाल श्रमिक अधिक है उनके लिये अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाये।

8- विद्यालय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाओं से अभिभावकों, समुदाय तथा प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाये।

9- सभी अध्यापक समय से स्कूल जाकर पूरे समय तक बच्चों का शिक्षण कार्य करें।

10- बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराया जाये।

11- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रभावशाली ढंग से चलाया जाये।

12- कम योग्यताधारी शिक्षकों तथा पुराने शिक्षकों के लिये अलग से प्रशिक्षण पैकेज बनाकर प्रशिक्षण दिया जाये तथा सभी अध्यापकों के लिये विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का निर्माण कर उपलब्ध कराया जाये।

13- प्रतिभाशाली बच्चों तथा कर्मठ शिक्षकों को समय-समय पर पुरस्कृत किया जाय

14- विशिष्ट श्रेणी के बच्चों तथा मलिक बस्तियों के बच्चों के शिक्षण के लिये वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये।

15- डायट के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करके बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 का गठन करके उनको समस्त संसाधनों से परिपूर्ण करके अपेक्षित सहयोग लिया जाये।

16- कम्प्यूटर शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा अधिक से अधिक बच्चों को इन नवीन विद्याओं से परिचित कराया जाये।

17- रोजगार परक शिक्षा पर भी बल दिया जाये।

18- पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाये तथा उन्हें प्रभावशाली बनाया जाये।

19- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिभावक संघों का गठन किया जाये तथा नियमित बैठकें करके विद्यालय सम्बन्धी पूरी जानकारी करायी जाये।

20- बच्चों को भ्रमण तथा पर्यटन नियमित रूप से कराया जाये।

21- अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में मकतब मदरसों को भी लाया जाये।

22- शिक्षक प्रशिक्षणों में मान्यता प्राप्त तथा हायर सेकेण्ड्री व इण्टरकालेजों में कार्यरत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाये।

सारणी

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

पदों का विवरण

01-01-2001 के आधार पर

क्र0सं0	पदनाम	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद
1-	प्राचार्य	01	01	--
2-	उप प्राचार्य	01	--	01
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
4-	प्रवक्ता	17	15	02
5-	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	--
6-	सांख्यिकीकार	01	01	--
7-	तकनीकी सहायक	01	01	--
8-	प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रा0वि0 के शिक्षकों की सं0	--	--	--

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू,10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण/साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

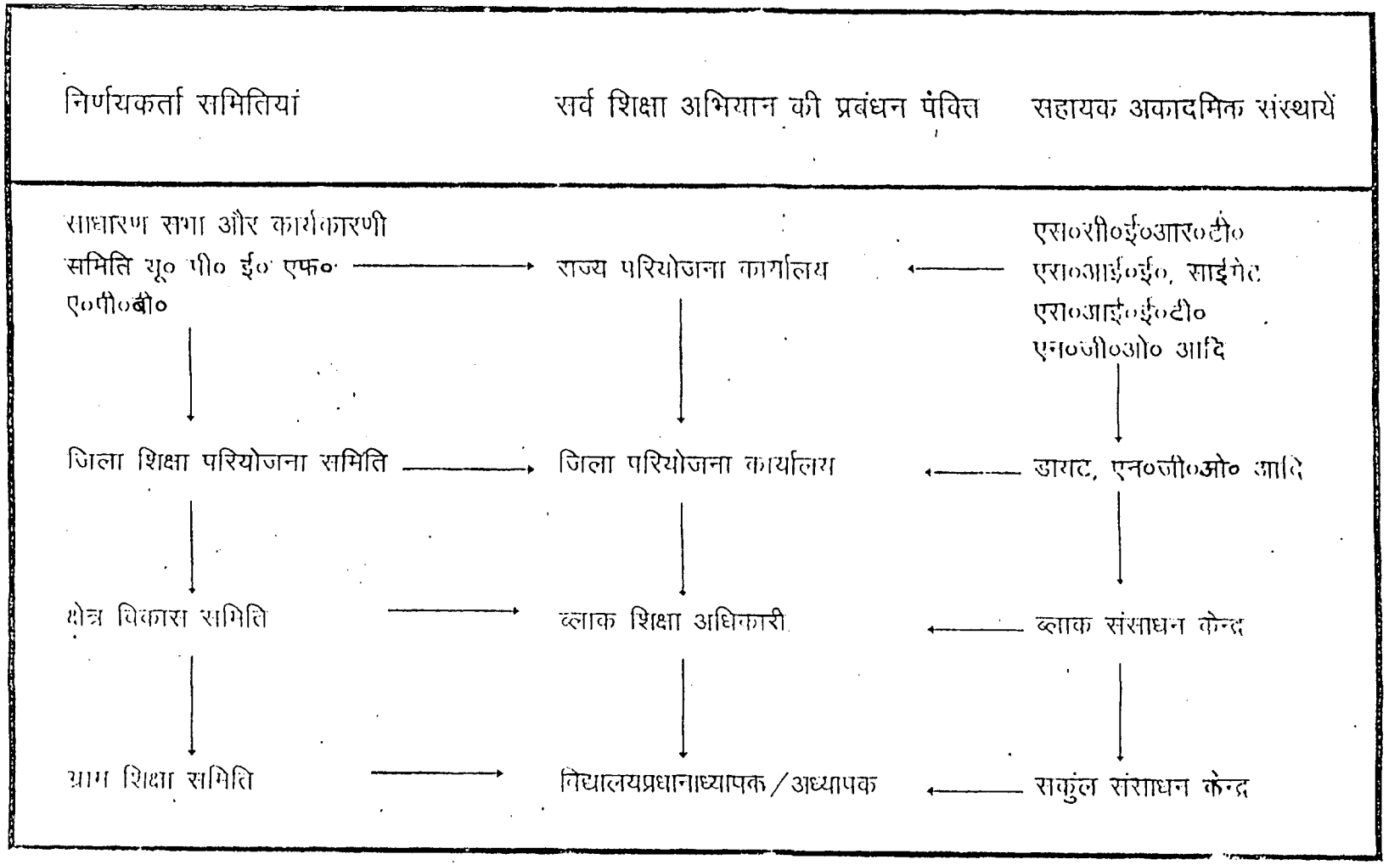
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी
समिति यू० पी० ई० एफ०
ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईमेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक
सकुंल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैः-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी वेतनिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रवंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन वं समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथदा नही।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये सस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अर्धाक्षण और निर्देशो के अर्धान रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियें द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्ष कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकर की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण:-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर ऑपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शौक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

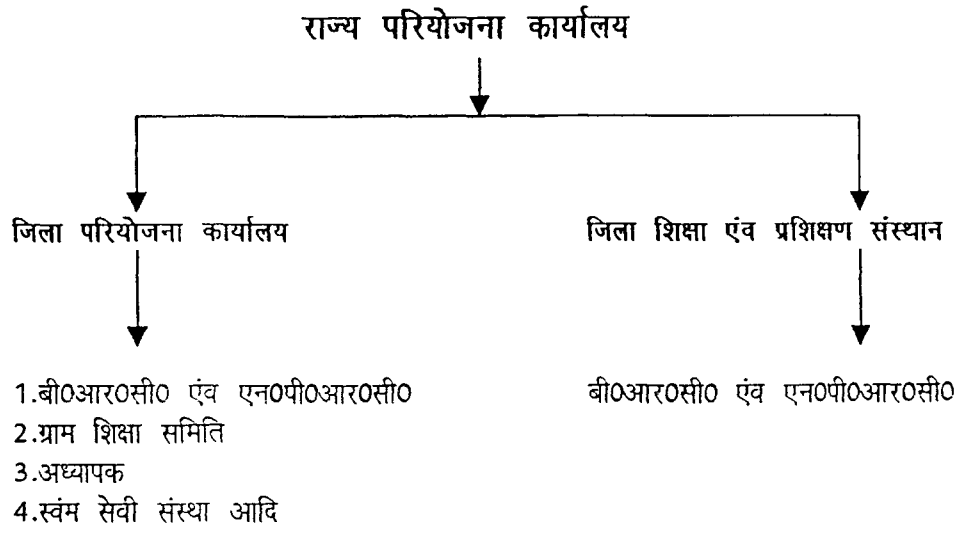

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डेपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकुल सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अध्याय-11

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	30	7770	40	10360	36	9324													106	27454
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	28	9464	60	20280	70	23660													158	53404
2	Salary of PS Asstt Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2×12	30	1656	70	7728	106	11702	106	11702	106	11702	106	11702	106	11702	106	11702	106	11702	842	91798
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	78 1/Year 7 × 12	112	4704	352	29568	632	53088	632	53088	632	53088	632	53088	632	53088	632	53088	632	53088	4888	405888
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	28	1260	88	7920	158	14220	158	14220	158	14220	158	14220	158	14220	158	14220	158	14220	1222	108720
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			70	1050	36	540													100	1590
	UPS	50			88	4400	70	3500													158	7900
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
	Total		229	25054	770	81706	1109	116234	897	79210	898	79410	897	79210	897	79210	898	79410	897	79210	7492	698654
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																			0	0
	Total		0	0	0	0															0	0
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	500	353	2000	1410	3500	2468	2000	1410	1000	705	500	353							9500	6699

135

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Upper Primary	1.0 per child	300	300	500	500	1000	1000	1500	1500	1000	1000									4300	4300
	Total		800	653	2500	1910	4500	3468	3500	2910	2000	1705	500	353	0	0	0	0	0	0	13800	10999
A4	Back to school campaign	1.5 per child	400	600	300	450	200	300	100	150											1000	1500
	Innovation of EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	120	180	80	120	80	120													280	420
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		1549	26487	3650	84186	5889	120122	4497	82270	2898	81115	1397	79583	897	79210	898	79410	897	79210	22572	711573
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms	70	166	11620	485	33950	485	33950	505	35350											1641	114870
	Reconst. of PS	191			32	6112	32	6112													64	12224
	Additional Teachers Primary School	7.7			233	21529	455	42042	609	56272	969	89536	1191	110048	1327	122615	1456	134534	1660	153384	7900	729960
	Reconst. of UPS	270	2	540																	2	540
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																			0	0
R1	Toilets	10			200	2000	400	4000	256	2560											856	8560
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	21	378	70	1260															91	1638
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	1736	8680	1736	8680	1794	8970	1894	9470	2000	10000	2000	10000	2000	10000	2000	10000	2000	10000	17160	85800
R4	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40			200	8000	150	6000	100	4000											450	18000
	Repairs (PS+UPS)																					
	Minor	20			133	2660	25	500													158	3160
	Major	70			107	7490	11	770													118	8260

136

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Haads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R5	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school			30	60	70	140	106	212	106	212	106	212	106	212	106	212	106	212	730	1472
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school			28	56	88	176	158	316	158	316	158	316	158	316	158	316	158	316	1064	2128
R6	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	20	200	20	200	10	100	10	100	5	50									65	650
R7	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	2	150	2	150	1	75	1	75											6	450
R8	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250	7	175	4	100	4	100	4	100	2	50	1	25			42	1050
R9	Training/Refresher Course for Gender Coordinators	1.5 per head per day																				
R10	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100																	1	100
3	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
4	TLM for ECCE	5 per centre	30	150	60	300	60	300													150	750
5	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	30	135	90	405	150	675	150	675	150	675	150	675	150	675	150	675	150	675	1170	5265
6	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			30	45	90	135	150	225	150	225	150	225	150	225	150	225	150	225	1020	1530

137

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Training of ECCE Instructor (at BRC)	0.07/per/day																				
	Induction	3	30	90	60	180	60	180													150	450
	Recurring	1.2			30	36	90	108	150	180	150	180	150	180	150	180	150	180	150	180	1020	1224
R11	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA training	0.007	6500	46	6500	46					6500	46	6500	46					6500	46	32500	230
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	10	80	10	80	10	80			10	80									40	320
3	Development of Awareness Material	5 per block	10	50	10	50	10	50			10	50	10	50			10	50			60	300
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	91	455	91	455	91	455	91	455	91	455	91	455	91	455	91	455	91	455	819	4095
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10			1	10			1	10					1	10			4	40
6	Production of Video Tapes	10 per district			1	10					1	10					1	10			3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district																			0	0
R12	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	90	630
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	90	450
R13	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R14	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	300	212	300	212	300	212	250	176	100	71									1250	883
R15	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R16	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	500	600	500	600	500	600	500	600					6000	6000
	Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R17	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	90	9000
	School Health Check Up (PS/UPS)	0.500 per school	1736	868	1736	868	1794	897	1894	947	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	17160	8580
	Book Bank & School Library PS/UPS	5.0 per school	1736	8680			1794	8970			2000	10000			2000	10000			2000	10000	9530	47650
	Sub Total (B)		13468	35089	13240	97479	9014	117477	6864	112908	14941	114811	13046	125102	8670	147523	6310	148887	15001	177888	100554	1076984
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day			233	489	222	466	154	323	360	756	222	466	136	286	129	271	204	428	1660	3485
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 Days)	0.07 per person per day			233	98	222	93	154	65	360	151	222	93	136	57	129	54	204	86	1660	697
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day			30	13	40	17	36	15											106	45
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day			28		60		70												158	0
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3028	2120	3261	2283	3483	2438	3637	2546	3997	2798	4219	2953	4355	3049	4484	3139	4688	3282	35152	24608
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0
7	Induction Training of EGS/AIE Worker (30 Days)	0.07 per person per day	27	57	56	118	67	141													150	316

139

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Refresher Course for Shikshn Mitra (15 Days)	0.07 per person per day					233	245	455	478	609	639	969	1017	1191	1251	1327	1393	1456	1529	6240	6552
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day					27	28	83	87	150	158	150	158							410	431
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	10	7																	10	7
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	97	68																	97	68
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	80	32
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			97	34	97	34	97	34	97	34	97	34	97	34	97	34	97	34	776	272
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day			25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	200	280
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day			25	53	25	53	25	53	25	53	25	53							125	265
16	BRC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	107	161			107	161			107	161			107	161			107	161	535	805
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	234	81
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	10	4																	10	4
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	200	300	200	300	200	300	200	300											800	1200

140

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4600	414	4600	414					4600	414	4600	414					4600	414	23000	2070
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	2	140	2	140	2	140	5	350											11	770
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0 07	1000	350	1200	420	600	210													2800	980
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	90	225
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	72	180
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	3633	763	3633	763															7200	1520
	Total		12758	4438	13677	5218	5464	4419	4995	4344	10384	5257	10583	5281	6101	4931	6245	4984	11435	6027	81642	44899
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3028	1514	3494	1747	3716	1858	3870	1935	4230	2115	4452	2226	4588	2294	4717	2358	4921	2460	37016	18507
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1568	784	1680	840	1920	960	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	18368	9184
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0150 per	281956	42293	296774	44516	302796	45419	308940	46341	315209	47281	321607	48241	327086	49063	334791	50219	341586	51238	2830745	424611
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	Child per year	142133	21320	153388	23008	165411	24812	178379	26757	190780	28617	191647	28747	195479	29322	199388	29908	203375	30506	1619980	242997
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1444	722	1444	722	1474	737	1514	757	1550	775	1550	775	1550	775	1550	775	1550	775	13626	6813
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	292	292	292	292	320	320	380	380	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	3534	3534

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000					1	1000					1	1000					3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160			1	160			1	160			1	160					4	640
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400							1	400									2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400							1	400									2	800
12	School Awards	25		25		25		25		25		25		25		25		25		25	0	225
	Total		430427	89080	457074	71320	475640	74461	495285	78455	514423	81483	521907	81724	531356	84349	543097	84995	554083	86714	4523292	712581
	Subtotal (C)		443185	73518	470751	76538	481104	78880	500280	82799	524807	86740	532490	87005	537457	89280	549342	89979	565518	92741	4604934	757480
C1	DIET																					
	Civil Work	5000			1	5000															1	5000
1	Furniture	100			1	100															1	100
2	Equipments (including audio visual)	300			1	300															1	300
3	Computers Work Station	600			1	600															1	600
4	Vehicle (where appkicable)	350				350															0	350
5	Hiring	5			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	8	40
6	POL	30			1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	8	240

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Maintenance of Vehicle	20					1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	7	140
8	Research/Action Research	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
	Seminars	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
9	Faculty Development	30			1	30	1	30	1	30											3	90
	Publications	400			1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	8	3200
10	Exposure visits	50			1	50			1	50			1	50			1	50			4	200
11	Library	25			1	25	1	25	1	25			1	25			1	25			5	125
12	Salary of computer operator	7			12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	96	672
13	Salary of Driver (where applicable)	4			12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	96	384
14	Consumable/Computer Stationary	10			1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	8	80
	Contingency	100	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	850
	Total		3	250	38	7532	34	1152	35	1202	32	1097	34	1172	32	1097	34	1172	32	1097	274	15771
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800			10	8000															10	6000
2	Salary Coordinator	65			120	780	120	780	120	780	120	780	120	780	120	780	120	780	120	780	960	6240
3	Asstt. Coordinator (2 no)	55*2 = 11			240	1320	240	1320	240	1320	240	1320	240	1320	240	1320	240	1320	240	1320	1920	10560
4	Chowkidar	3*12																			0	0
5	Equipment/Furniture	100			10	1000															10	1000
6	Travelling Allowance	5			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	8	400
7	Maint of Equipment	1					1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	7	70
8	Maint of building	6					1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	7	420
9	Books	10					10	100			10	100			10	100					30	300
10	Monitoring & Supervision (PS & UPS)	0300 per school	1736	521	1736	521	1794	538	1894	568	2000	600	2000	600	2000	600	2000	600	2000	600	17160	5148

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Consumables	5			10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	80	400
12	Contingency	12			10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	80	960
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting			120	36	120	36	120	36	120	36	120	36	120	36	120	36	120	36	960	288
	Total		1736	521	2257	11877	2307	3064	2397	2994	2513	3126	2503	3026	2513	3126	2503	3026	2503	3026	21232	33786
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200	97	19400																	97	19400
2	Salary Coordinator	5.5	1164	6402	1164	6402	1164	6402	1164	6402	1164	6402	1164	6402	1164	6402	1164	6402	1164	6402	10476	57618
3	Equipment/Furniture	10	97	970																	97	970
4	Books for Library/Book Bank	5	97	485			97	485			97	485			97	485					388	1940
5	Contingency	2.5	97	243	97	243	97	243	97	243	97	243	97	243	97	243	97	243	97	243	873	2187
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 per meeting	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	10476	2097
7	Monitoring & Supervision (PS / UPS)	0.200 per school	1736	347	1736	347	1794	359	1894	379	2000	400	2000	400	2000	400	2000	400	2000	400	17160	3432
	Total		4452	28080	4161	7225	4316	7722	4319	7257	4522	7763	4425	7278	4522	7763	4425	7278	4425	7278	39567	87644
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					
	(if vehicle is purchases)	71×12	1	426	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7242
	Equipment	50	1	50	1	50															2	100
	Furniture & Fixture	50	1	50	1	50															2	100
	Books	10	1	10	1	10	1	10			1	10			1	10					5	50

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350	1	350																	1	350
	Motorcycle	50	14	700																	14	700
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Honorarium of AE/JE	6/block	10	60	10	60	10	60	10	60											40	240
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Hiring of Vehicles for 3 Yrs.																				0	0
	Maintenance of Equipment	10			1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	8	80
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.150 per school	1736	274	1736	274	1794	283	1894	299	2000	316	2000	316	2000	316	2000	316	2000	316	17160	2710
	Contingency	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	0	90
	Salary of AE/JE	6	120	720	120	720	120	720	120	720											480	2880
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1736	521	1736	521	1794	538	1894	568	2000	600	2000	600	2000	600	2000	600	2000	600	17160	5148
	Total		3626	3301	3612	2687	3726	2613	3925	2649	4008	1928	4007	1918	4008	1928	4007	1918	4007	1918	34926	20860

145

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
KANPUR NAGAR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4.1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50																	1	50
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
	Salary of MIS Officers	10	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	8	160
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		8	741	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	64	4237
	Sub Total (D)		9825	32893	10075	29758	10390	14988	10683	14539	11082	14351	10976	13831	11082	14351	10978	13831	10974	13756	96063	162298
	Grand Total		468027	167987	497716	287961	506397	331467	522324	292516	553728	297017	557909	305501	558106	330364	567526	332107	592390	363395	4824123	2708315

Note : Salaries in the First Year will be Provided for Six Months.

SUMMARY OF PROJECT COST - I

KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	27218	4042	136727	**167987**
2002-2003				
Amount	123286	3124	161551	**287961**
2003-2004				
Amount	90712	3050	237705	**331467**
2004-2005				
Amount	83634	3086	205796	**292516**
2005-2006				
Amount	8740	2365	285912	**297017**
2006-2007				
Amount	8740	2355	294406	**305501**
2007-2008				
Amount	8740	2365	319259	**330364**
2008-2009				
Amount	8740	2355	321012	**332107**
2009-2010				
Amount	8740	2355	352300	**363395**
TOTAL	**368550**	**25097**	**2314668**	**2708315**
As % of Total Cost	**13.61**	**0.93**	**85.47**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
KANPUR CITY

(Rs. in Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	26487.00	35089.00	73518.00	32893.00	167987.00
As % of Total Project Cost	15.77	20.89	43.76	19.58	100.00
2002-2003					
Amount	84186.00	97479.00	76538.00	29758.00	287961.00
As % of Total Project Cost	29.24	33.85	26.58	10.33	100.00
2003-2004					
Amount	120122.00	117477.00	78880.00	14988.00	331467.00
As % of Total Project Cost	36.24	35.44	23.80	4.52	100.00
2004-2005					
Amount	82270.00	112908.00	82799.00	14539.00	292516.00
As % of Total Project Cost	28.12	38.60	28.31	4.97	100.00
2005-2006					
Amount	81115.00	114811.00	86740.00	14351.00	297017.00
As % of Total Project Cost	27.31	38.65	29.20	4.83	100.00
2006-2007					
Amount	79563.00	125102.00	87005.00	13831.00	305501.00
As % of Total Project Cost	26.04	40.95	28.48	4.53	100.00
2007-2008					
Amount	79210.00	147523.00	89280.00	14351.00	330364.00
As % of Total Project Cost	23.98	44.65	27.02	4.34	100.00
2008-2009					
Amount	79410.00	148887.00	89979.00	13831.00	332107.00
As % of Total Project Cost	23.91	44.83	27.09	4.16	100.00
2009-2010					
Amount	79210.00	177688.00	92741.00	13756.00	363395.00
As % of Total Project Cost	21.80	48.90	25.52	3.79	100.00
GRAND TOTAL	711573.00	1076964.00	757480.00	162298.00	2708315.00
As % of Total Cost	26.27	39.77	27.97	5.99	100.00

अनुलग्नक-12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	30	7770	30	7770
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	28	9464	28	9464
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2x12	30	1656	30	1656
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	78 1.Year 7 × 12	112	4704	112	4704
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	28	1260	28	1260
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Cohart Study	200				
	Total		**229**	**25054**	**229**	**25054**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	500	353	250	177
	Upper Primary	1.0 per child	300	300	150	150
	Total		**800**	**653**	**400**	**327**
A4	Back to school campaign	1.5 per child	400	600	200	300
	Innovation of EGS	50				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	120	180	60	90
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**1549**	**26487**	**889**	**25771**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms	70	166	11620	166	11620
	Reconst. of PS	191				
	Additional Teachers Primary School	7.7				
	Reconst. of UPS	270	2	540	2	540
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets	10				
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	21	378	21	378
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	1736	8680	1736	8680
R4	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40				
	Repairs (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
R5	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	4 pa per school				
R6	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					
	Summer Camps	10 per camp	20	200	20	200

150

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
R7	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	2	150	2	150
R8	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250
R9	Training/Refresher Course for Gender Coordinators	1.5 per head per day				
R10	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100	1	100
3	Civil Works (one additional room)	70				
4	TLM for ECCE	5 per centre	30	150	30	150
5	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	30	135	30	135
6	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
7	Training of ECCE Instructor (at BRC)	0.07/per/day				
	Induction	3	30	90	15	45
	Recurring	1.2				
R11	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007	6500	46	6500	46
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	10	80	5	40
3	Development of Awareness Material	5 per block	10	50	5	25
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	91	455	46	228
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5
6	Production of Video Tapes	10 per district				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R12	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	10	70	10	70
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	10	50	10	50
R13	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R14	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	300	212	300	212
R15	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R16	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1000	1200	500	600
	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R17	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	5	500
	School Health Check Up (PS/UPS)	0.500 per school	1736	868	868	434
	Book Bank & School Library PS/UPS	5.0 per school	1736	8680	868	4340
	Sub Total (B)		**13468**	**35089**	**11156**	**28873**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day				
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 Days)	0.07 per person per day				
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day				
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3028	2120	1514	1060
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	Induction Training of EGS/AIE Worker (30 Days)	0.07 per person per day	27	57	14	29
8	Refresher Course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	10	7	5	4
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	97	68	49	34
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day				
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day				
16	BRC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	107	161	54	81
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	26	9	13	5
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	10	4	5	2

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	200	300	100	150
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4600	414	2300	207
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	2	140	1	70
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1000	350	500	175
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	10	25	5	13
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	4	10
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	3633	763	1817	382
	Total		**12758**	**4438**	**6379**	**2219**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3028	1514	3028	1514
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1568	784	1568	784
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0150 per	281956	42293	281956	42293
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	Child per year	142133	21320	142133	21320
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1444	722	722	361
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	292	292	146	146
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	80

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	80
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400	1	200
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400	1	200
12	School Awards	25		25		13
	Total		**430427**	**69080**	**429556**	**67496**
	Subtotal (C)		443185	73518	435935	69715
C1	**DIET**					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where appkicable)	350				
5	Hiring	5				
6	POL	30				
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research/Action Research	200	1	100	1	50
	Seminars	200	1	100	1	50
9	Faculty Development	30				
	Publications	400				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
10	Exposure visits	50				
11	Library	25				
12	Salary of computer operator	7				
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
14	Consumable/Computer Stationary	10				
	Contingency	100	1	50	1	25
	Total		**3**	**250**	**2**	**125**
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	65				
3	Asstt. Coordinator (2 no)	55×2 = 11				
4	Chowkidar	3×12				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5				
7	Maint of Equipment	1				
8	Maint of building	6				
9	Books	10				
10	Monitoring & Supervision (PS & UPS)	0300 per school	1736	521	868	261
11	Consumables	5				
12	Contingency	12				
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting				
	Total		**1736**	**521**	**868**	**261**

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200	97	19400	97	19400
2	Salary Coordinator	5.5	1164	6402	1164	6402
3	Equipment/Furniture	10	97	970	97	970
4	Books for Library/Book Bank	5	97	485	49	243
5	Contingency	2.5	97	243	49	122
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 per meeting	1164	233	582	117
7	Monitoring & Supervision (PS / UPS)	0.200 per school	1736	347	868	174
	Total		**4452**	**28080**	**2905**	**27426**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	71×12	1	426	1	426
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & Fixture	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350	1	350	1	350
	Motorcycle	50	14	700	2	100
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Honorarium of AE/JE	6/block	10	60	10	60
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
KANPUR NAGAR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50
	Hiring of Vehicles for 3 Yrs.					
	Maintenance of Equipment	10				
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1736	274	1736	274
	Contingency	10		10		10
	Salary of AE/JE	6	120	720	120	720
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1736	521	1736	521
	Total		3626	3301	3614	2701
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50	1	50
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	3	126	3	126
	Salary of MIS Officers	10	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20				
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		8	741	8	741
	Sub Total (D)		9825	32893	7397	31254
	Grand Total		468027	167987	455377	155611

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning & Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11498
DOC, No. 09-07-2002
Date

158

परिशिष्ट

क्रम-संख्या—177

रजि० नं० एस०एस०/एल०पी० [illegible]

लाइसेन्स नं० [illegible]

[illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। *संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार से पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ग) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ड) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (द) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ध) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (छ-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी बनजा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

जिला पंचायत के कृत्य

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित सदस्य या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, यथास्थिति ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, निदेशन और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।" अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2000 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1999 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1999

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245(2)/XVII-V-1—1(KA)-2-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Utter Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted* ;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to ac[illegible] any [illegible] equipment of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

5. In section 5 of the principal Act,— Amendment of section 5

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) In sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 9-A

Control of teacher and properties of basic schools

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated ;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be ;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely ;—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

Omission of section 12-A

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*.

Insertion of new section 13-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"13-A. Over riding effect Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect.".

Amendment of section 14

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*;

Amendment of section 17

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*.

Repeal and savings

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी0—ए0 पी0 255 राजपत्र (हि0)—(483)—2000—597 (मेक0)।

संख्या:2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

....2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (मा0/प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा xxxx विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है । यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी ।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र " होगा।

2- (i) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(ii) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है ।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (i) शिक्षा मित्र (पुरूष /महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(ii) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला /पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जावेगा।

.....2....

(iii) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र " का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0एस0पी0/डी0पी0ई0पी0 योजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तद्नुसार (81) छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

(घ) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वत: समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण
=====

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

111 प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1111 पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक रेते शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो; किन्तु रेते शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं तत्पश्चात जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण
=====

12- 111 शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्यत: इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरकारी स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक द्वितीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक द्वितीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान

...1

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

(ii) शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

(iii) ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी [illegible] पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(iv) विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

दान की वस्था

13- (i) इस योजना के अधीन "शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

......

14- प्रस्तर-10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(वे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(वे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(वे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें</u>:

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल</u>:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय</u>:

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण</u>:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ करायें जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम शिक्षा समिति,

ग्राम पंचायत -.....

जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनाये निम्नवत् है:-

1. नाम

2. पिता/पति का नाम

3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला

4. शैक्षिक योग्यता -

(क) हाई स्कूल -	श्रेणी	प्राप्तांक
(ख) इण्टरमीडिएट	श्रेणी	प्राप्तांक
(ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0	श्रेणी	प्राप्तांक

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होंगी।

दिनांक- भवदीय,

(

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्पेशल आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(जी0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नी.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूंगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जाये तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में, यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो–प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार–विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ–साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य–पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय–समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/–

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों की वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

[illegible]

संख्या-2000/ई0-2-2000-2/13(9)11/93

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

बाह्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(5)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उनकी केन्द्र सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सन्दर्भ हेतु निम्नवत् प्रोत्साहन अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रू0250/-

2- [illegible] रू0125/-

3- जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना

(सी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी । प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु0 5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु0 1500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु0 5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है । शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी । अतः रु0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी ।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का [illegible] से लेखा-जोखा रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible] नींबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा । इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा । प्रत्येक का, यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र के आकार के आधार पर [illegible] से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों से बच्चों के [illegible] को प्राकृतिक रूप में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा ।

.........3

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करें और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सबके लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप निदेशक निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्रमांक	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	संख्या	
i	2	3	4	5
1-	देवरिया	दरहक्ष	35	तलरही, दौलता, मंझिल, पड़रा मांस, पैना, रामपुर बड़गांव, बयापार, करमहा, क्ष्टलबा, कारदार, हरसोटा, छोटया, परौन, हसौना, बहिंई, गुलापरास, करमक उपाध्याय, लक्ष्मी गंज, हरसही, भंगापार, करमबजुरत, कहेसर, बपमार, परिनिया, दुकड़, मिर्जापुर, बहुवाछपरा, हौरी, महेश, मानिकार, पथीता, देवपार, कोठुआ, छापिया पुर्ज, डभरामोहा, मिर्जापुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तपपती।
		रुद्रपुर	18	गहूना, पकड़िया, मलिकरपुर, बहुआमार, रामपुर, करहौली, केवटलिया, परोलिया, कनहिरा, गोखिया तिवारी, बनकट, बगयापार, पनियारी, सरांपहुर, रामईपुर, शीतलनामा, तारापार, गहरहा।
		सलेमपुर	10	बेराही, बलपुर, भैलीडर, देवरियाई रामपुर, हरपकौर, भतरौली, बकरा गोपाई, हरदपलिया, भिन ठाकमाली, गलकौली।
		वैतालपुर	12	कुकुदपुर, जगदीशपुर, पेनकरिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपक, करमैल पजरही, पट्टीपुर, दरारी, परपारा, जोकहाजार, बेलई, अमवां, महराजगंज, ईटवा।
2-	गोरखपुर	चौरापत	67	रुहारी, परसौना, करवोना, पुरना, मरका, बांसई, रमना, देवगढ़, मानिकुरहा, रिमुठार, रहेडर, पिसरेड़ी-1, छितौली, पड़ौलिया, मरहना, मुरैठ, भहरौरा; ओरिहार, मझौली, पिपरपार, गोरावल, पिपरहरी-1, रसैठी-1, रमौली, केवली-, हिरवाई, वसरदेवा बोमिकी, रामपोखर, दुपकरी, भिलहार, दुरताल-1, मिलौरो, मजरपहा, पुरनिया, फुलवारी, सिवरि, केवटा, महुआ, पाण्डेय, कोसलिया, सिलौली, ओदार परसौना, पिडरिया, सीतापुर, कोहरिया, बैरहा-1, मुसहरिया-1, पाण्डेयपोखर, कुमल, परसोत [illegible]

	दुद्दी	44	बीडर, रनपुर, कुम्हार, महुवरवा, झाराहरिवा. छतोरा, बारोकला, कटौली, बारोकुर्द, पिपराडी, बहोती, रजपुर, महेवा, चपाड़, जरुरी, देहा, दीहा, हथवां, डुमरवार, सिमिराडीह, पिपरडीह, रामपुर, हरपुरा, महुली, करहिया, मडीहमार, बनैयाडीह, एरती, डोलवा, पुरेवा, कोलियवा, बनागुड़ा, बेनास एवं रनपुर-II, कुम्हार-II, हमारी, बरवा छतोर । अपना, कटौली, छतोरा, महुआरिया, डुमरडीहा, अंपर, दीघुल । डुमरडीहा ।
3- ललितपुर	मड़ावरा	16	रनगांव, गुरयाना, बैरवारा, मड़ावरा, मुंडहिरिया, गोना, गोना, रजवारा, इकोना, सतटर, पहाड़ीकला, टोलवा, बारीसागर, बमराना, उलदनाकुर्द, डोंगरा बालाबेहट, बुड़वारा, पटसेमरा, धौरी ।
	बिरधा	04	
	पुरा	25	बारोन, टोड़ी-फेगवां, बराबली, मौमाड़, बार, बार, देवरान, पिंगलोना, नाबपुर, डगराना, कारीटोरन, कैलोनीतोल, गैदोरा, कलवारा, खाना, कुडरारा, भारौली, बमारा, हीरापुर, पिपला, करवई, दिदौरा, रैवारा, रनवली ।
	जखौरा	03	पितरा, सिवनीकुई, बमराना ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, बैलवारा ।
	तालबेहट	24	करेगा, बजरंगकला, सिजरोठा। पोलाई। , म्वांव, मड़ कोटरा, उदगुवां, पिजलपुरा, पुराकलां, कुराबली, इमेरा, कडेसराकलां, सेरवांसकला, सिजरोठा, सिहारीपुरा, राजीपुरा, भारौली, बड़ेरवरा, बसटोरा, कड़ारी, रमपुरा, बनौरी, [illegible], रजावन ।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, अमीनिया, नवोई-गोठा, फतिहा-राजपुर, सिसड़या, पैंगल, परसैया, नागी हरकानपुर, हुईमपुर, सिलौली गंज, रसोड़िया, उरैना, हरनानपुर, पीरनगर, फर्रुखा, मीरापुर, पिदनरी, नानरपुर, कसेर, ड दसौटा, बसवारी, डतरा, भतिजरोटिया, सिंहरा, बकौटा नहरनगर ।

	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], उदयपुर, [illegible], [illegible] ।
5- महराजगंज	दसिहरा	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवीपुर, [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible] ।
	महराजगंज	15	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
	[illegible]	10	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
	[illegible]	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गणेशपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गोपालपुर पिपरा [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] महराज, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] देवीपाटन, [illegible], [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
6- [illegible]	[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ।
	[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवराम, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ।

........4

7- फिरोजाबाद शिकोहाबाद 49 रजिावरा, रहटी, नगला, सिरसगंज, बछगांव, अरांव, हटौली, नितमपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, आवली, पुरोहितपुर, हरगनपुर, अब्दालपुर, देवतपुर -नगर, इरिया, मुडा, सुन्दरपुर, बदा-बसका, बरजापुर, बदारा, नगलाविलौली, डडुमई, मोहनी [illegible] पुर, अतिरहरा, रोहरा, अर्धवाताम, पिलखनी, [illegible] जिरहर, कुम्हेवमई, पुड़ा परसरा, अडा, सरपुर, यमरोली, प्रेमड़ा, मलाई, परमपुर-नगर, बरारा अट्टा, बानीरपुर, नीम-जोरिया ठ० [illegible], अकेली, कनीरपुर, नागपुर, बालीपुर, सुजावलपुर, नगरा, करवपुरा, नगला, नगलापुर।

टूण्डला [illegible] मोहम्मदपुर, टूण्डला गांव, टूण्डला ग्राम, बाई, मोहम्मदाबाद, यज्ञाकुरहमदाबाद, टूण्डली, ठठ इरवे, ठठियाँ, साई, इरदुआ, वीरपुरा, नोरपुरा, धारेपाल, ठारहीरा, कुम्हपुर, बनौली, नगलाई, मढ़ी मोहन, हुरहापरी, पचहायरी, लांचीत, कोटकी, देवडेड़ा, पचारारी, पूर्व सदया, लाइपुर, मढ़ी हुसैन, सुजानगर, हेमरावपुर, मालिम, श्रीनगर, मढ़ी बोरी, हतरस, हिम्मतपुर, बाढ़ूला, बाढ़ूपुर, मढ़ी, सिहम, सिकन्दरपुर, नटोता, [illegible]।

8- लखीमपुरखीरी निघासन 25 सरयदहा, सिरसापुरवा, मोहम्मदिया रोड, हटोरी, रेहरिया, रेहरा, रेहरा-2, खेरवा परसोहा, गोलीपुर, गोलीपुर, सिंगाही सारा, सिंगाही धमराता, परसोहा, गुलाबा परसोहा, झाला परसोहा, नरेन्द्रनगर, सातभार, गंगापुरवा, सिंगाही खुर्द, सिंगाही, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुरवा, रघुनाथपुर बंगाली सिंगाही कला।

मितौली 25 [illegible], छितरपुर, लोकहा, रामनगर, [illegible], केतपुर, कड़िनिहिया, देवरिया, अलीगंज, रेहरा देवरिया, बहादुरपुर, मेहरी, कुसरिया, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।

				[illegible] पुरवा, [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible], मधुरी, गोरिया, जगदीशपुर । अमेठी ।
9-	मुरादाबाद	मुरादाबाद	16	मनोहरपुर, भिलौसा, पाकबाड़ा, मझोलापुर, [illegible], मोहीपुर, रतनपुर, सिरसौर, देवापुर, अब्दुल्लापुर, देहवाला पुर, [illegible] जाफराबाद, रसूलपुर, [illegible], दौलतपुर, [illegible] हिमायूपुर, मकबरा [illegible] लाड़ी, पाकबड़ा, [illegible], पाकबाड़ा ।
		बिलारी	09	सहसपुर, रतनपुर खुर्द, [illegible], [illegible], [illegible] काजी, राजा का सहसपुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		कुन्दरकी	15	[illegible] पुर, रामनगर, [illegible], [illegible] पुर [illegible], [illegible] पुर [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible] पुर, [illegible] पुर, [illegible] पुर, [illegible] पुर ।
10-	गोण्डा	पण्डरी कृपाल	25	पण्डरी ऊधौरा, [illegible], [illegible], [illegible] पुर, रसूलपुर [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible] पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible] मोहन, [illegible], [illegible] पुर द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible] टी, [illegible], [illegible] ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुर, बेगमगंज-।।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible] ।
		कोथावा	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible], [illegible] देव, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।।, [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।

12-	बरेली	बरेलीशहर	124	इन्दिरानगर, बाकरगंज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रबड़ी टोला, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, शिवपुरी-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, सैनी-11, [illegible]-111, [illegible], [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, जाटवपुरा-11, बिहारीपुर-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, मढ़ीनाथ-11, [illegible]-11, [illegible] नगर-111, जाटवपुरा-111, मढ़ीनाथ-111, [illegible]-111, [illegible]-111, शिवपुरी-111, सैनी-111, [illegible]-11, सैनी, सैनी-4, सैनी-5, सैनी-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, [illegible]-4, [illegible]-11, [illegible]-111, मढ़ीनाथ-4, जाटवपुरा-4, जाटवपुरा-5, मढ़ीनाथ-4 ।
13-	पीलीभीत	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

....

		बीतकपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मोहम्मदपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर [illegible], [illegible], दरेवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] लहुरी पुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रघुनाथपुर ।
		[illegible]डा	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मरेला, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] अमारत ।
14-	सिद्धार्थनगर	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-सिद्धार्थनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], महदेवा, [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		डुमरियागंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], परसा [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रेहरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible] ।
5-	[illegible]	[illegible]	22	[illegible], [illegible] ।

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/9

प्रेषक,

डा. वी.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
   उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
   निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
   रा.शै.अ. एवं मूल्यांकन
   उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 200

विषय:- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर जी.ओ.आई. यू.एन. के अन्तर्गत लिया गया है, चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें प्रमाण-पत्र देना तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

(हस्ताक्षर)

अभियान चलाया जाना है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से सितम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हैल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन नापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/परोपकारी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक [illegible] ब्लाक में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा [illegible], [illegible] को [illegible] एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० पी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

........4

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कामिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना [बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद]

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14 औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी०पी०ई०पी० जनपद]

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ई०पी० जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	एटा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झाँसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	उधमसिंहनगर
32.	हरिद्वार

क्रमांक	जनपद का नाम
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	[illegible]

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:............ रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रवण दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	. वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	. क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? . क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों / टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास / गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	. वेशभूषा, साफ सुथरी . संयत एवं मुस्कुराहट . प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता। . शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	. स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। . शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। . उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। . बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद / पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	50
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA BSA											
DIET											
Others											
Total											

NIEPA DC
D11498